रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 6, 1978/वैशाख 16, 1900

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 6, 1978/VAISAKHA 16, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1978

का०आ० 1273.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए विधान सभा के लिए उप-चुनाव के लिए 84-मन्सा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पटेल रतिलाल चुन्नीलाल, भटवाडो, लाडोल, तालुका विजापुर, गुजरात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचनायें दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता का कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पटेल रतिलाल चुन्नीलाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० गुज०-वि०स० /84/77(उप)]

ELECTION COMMISSOIN OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 13th April, 1978

S.O. 1273.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Patel Ratilal Chunilal, Bhatwada Ladol, Vijapur Taluk, Gujarat, a contesting candidate for bye-election to the Legislative Assembly held in June, 1977 from 84-Mansa constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said shri Patel Ratilal Chunilal be disqualified for being chosen, as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-I A/84/77 Bye]

आदेश

सा०आ० 1274.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए विधान सभा के लिए उप-चुनाव के लिए 84-मन्सा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पटेल कान्तिलाल अम्बाराम, उबखल, पोस्ट कुकरवड़ा, तालुका विजापुर, गुजरात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचित व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचनायें दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता का कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पटेल कान्तिलाल अम्बाराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० गुज०-वि०स०/84/77(उप)]

एस०पी० राजे, अवर सचिव

ORDER

S.O. 1274.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Patel Kantilal Ambaram, at Ubkhal, Post Kukarvada, Taluk Vijapur, Gujarat, a contesting candidate for the bye-election to the Legislative Assembly held in June, 1977 from 84-Mansa constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said shri Patel Kantilal Ambaram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/84/77 Bye]

S. P. RAJE, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1978

का०आ० 1275.—निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो चुका है कि मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए पंजाब के 1-गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्रीतम सिंह, ग्राम नारणवाली, डा० कलानौर, तह० व जिला, गुरदासपुर (पंजाब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग को यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री प्रीतम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० पंजाब-लो० स०/1/77]

ORDER

New Delhi, the 10th April, 1978

S.O. 1275.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pritam Singh, Village Narranwali, P.O. Kalanpur, Tehsil and District Gurdaspur (Punjab), who was a contesting candidate for general election to the House of the People from 1-Gurdaspur held in March, 1977 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pritam Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-HP/1/77]

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1978

का०आ० 1276.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, केरल सरकार के परामर्श से सेवा निवृत्त होने वाले श्री जी० सुकुमारन नायर के स्थान पर श्री एम० पी० माधवन नायर, अपर सचिव, गृह विभाग को उनके इस पद पर कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेशों तक केरल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/केरल/78]

New Delhi, the 15h April, 1978

S.O. 1276.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Kerala, hereby nominates Shri M. P. Madhavan Nair, Additional Secretary, Home Department as the Chief Electoral Officer for the State of Kerala with effect from the date he takes over charge and until further orders vice G. Sukumaran Nair retired.

[No. 154/KL/78]

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1978

का०आ० 1277.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 131-अरियानाड निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री माट्टापल्ली अब्दुल मजीद, माट्टापल्ली, नीलामेल डाकघर, जिला त्रिवेंद्रम (केरल राज्य), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार, ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं

दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री माट्टापल्ली अब्दुल मजीद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० केरल-वि०स०/131/77]

ORDER

New Delhi, the 17th April, 1978

S.O. 1277.—Whereas the Election Commission is satsiefied that Shri Mattapally Abdul Majid, Mattapally, Nilamel P.O. Trivandrum District, (Kerala State), a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in March, 1977 from 131-Ariyanad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Maltapally Abdul Majid to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/131/77]

आदेश

का० आ० 1278.—यतः निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 134-त्रिवेंद्रम उत्तर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मैथ्यू एम० फिलिप, टी०सी० 13/245, मैथ्यू बंगला, पालायाम, त्रिवेंद्रम (केरल राज्य), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मैथ्यू एम० फिलिफ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० केरल-वि०स०/134/77]

ORDER

S.O. 1278.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mathew M. Philip, T.C. 13/245, Mathew Bunglow, Palayam, Trivandrum, Kerala State, a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in March, 1977 from 134-Trivandrum North constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Electio Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mathew M. Philip to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/134/77]

आदेश

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1978

का० आ० 1279.—निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो चुका है कि जून, 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए पंजाब के 11-सुजानपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गुरदासमल, मकान नं० 2, मोहल्ला सेखन, सुजानपुर, जिला गुरदासपुर (पंजाब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने मे असफल रहे हैं;

और, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग को यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही हैं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गुरदासमल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० पंजाब-वि०स०/11/77]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th April, 1978

S.O. 1279.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gurdas Mal, House No. 2, Mohalla Sekhan, Sujanpur, District Gurdaspur (Punjab), who was a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly from 11-Sujanpur held in June, 1977 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares he said Shri Gurdas Mal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/11/77]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1978

का०आ० 1280.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए (प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो जो कि राजभाषा विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है, के कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने के लिए अधिसूचित करती है—

[सं० 13034/4/78 रा०भा०(ग)]

विष्णु स्वरूप सक्सेना, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 17th April, 1978

S.O. 1280.—In pursuance of subrule (4) of rule 10 of the Official Languages (use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notified that the Central Translation Bureau, Subordinate Office of the O. L. Department, the Staff whereof have the working knowledge of Hindi.

[No. 13034/4/78-OL(C)]

VISHNU SWARUP SAKSENA, Dy. Secy.

(केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1978

का० आ० 1281.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय न्याय विज्ञान प्रयोगशाला (उपनिदेशक) भर्ती नियम, 1978 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय न्याय विज्ञान प्रयोगशाला (उप निदेशक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय न्याय विज्ञान प्रयोगशाला (उपनिदेशक) भर्ती नियम, 1978 की अनुसूची में स्तम्भ 12 के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(1) अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
(2) संयुक्त सचिव (पी) गृह मंत्रालय	सदस्य
(3) संयुक्त निदेशक, के०आ०ब्यू०/विशे०अ०नि०पु०के०अ०ब्य	सदस्य
(4) निदेशक, के० न्या० वि०प्र०, के०अ०ब्यू०	सदस्य

[सं० ए०-12018/1/77-प्रशासन-1/कार्मिक-1]

सत्य देव गुप्त, अवर सचिव

New Delhi, the 25th April, 1978

S.O. 1281.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Bureau of Investigation, Central Forensic Science Laboratory (Deputy Director), Recruitment Rules, 1978 namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation, Central Forensic Science Laboratory (Deputy Director) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Bureau of Investigation, Central Forensic Science Laboratory (Deputy Director) Recruitment Rules, 1978, for the entry under column 12, the following entry shall be substituted, namely :—

Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :—

(i) Chairman/Member, UPSC	Chairman
(ii) Joint Secretary (P) MHA	Member.
(iii) Joint Director, CBI/ Spl. IGP CBI	Member.
(iv) Director, CFSL, CBI	Member.

[No. A. 12018/1/77-Ad. I/Pers. II]

SATYA DEV GUPTA, Under Secy.

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

का० आ० 1282.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या 225/41/76-ए०वी०डी०-II, दिनांक 21 जुलाई, 1976 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

[संख्या 225/54/77-ए०वी०डी०-II(i)]

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

S.O. 1282.—This Department's notification No. 225/41/76-AVD. II dated 21st July, 1976 is hereby cancelled.

[No 255/54/77-AVD. II(i)]

का० आ० 1283.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष (इसके मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार में) राज्य बनाम हरीदास मुन्द्रा तथा अन्यों से संबंधित विशेष पुलिस स्थापना, सी० आई० ए० (1), नई दिल्ली के नियमित मामला संख्या 4/59 में अभियुक्त व्यक्तियों के अभियोजन का संचालन करने हेतु श्री जे० एन० घोष अधिवक्ता, कलकत्ता को विशेष लोक-अभियोजक के रूप में, नियुक्त करती है।

[संख्या 225/54/77-ए०वी०डी०-II(ii)]

टी०के० सुब्रमनियम्, अवर सचिव

S.O. 1283.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri J. N. Ghosh, Advocate, Calcutta, as a Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of the accused persons in case RC No. 4/59- of the Special Police Establishment, CIA(I), New Delhi, in State versus Haridas Mundhra and others before the High Court at Calcutta (in its original criminal jurisdiction).

[No. 225/54/77-AVD. II(ii)]

T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1978

आय-कर

का० आ० 1284.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र

में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन" के प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक् से रखेगी।

(ii) यह कि संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 15 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाए।

संस्था

चिल्ड्रेन्स आर्थोपीडिक हास्पिटल, मुम्बई

यह अधिसूचना 27-12-1977 से 26-12-1979 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[सं० 2167(फा० सं० 203/10/78-आई० टी०ए० II)]

पी०एन० झिंगन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 8th February, 1978

INCOME TAX

S.O. 1284.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 62 under the category of "Scientific research association" in the field of medical research, subject to the following conditions :—

(1) That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(2) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each financial year by 15th May each year at the latest, in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

CHILDREN'S ORTHOPEDIC HOSPITAL, BOMBAY.

This notification is effective for a period of two years from 27-12-1977 to 26-12-1979.

[No. 2167(F No. 203/10/78-ITA. II)]

P. N. JHINGON, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1978

स्टाम्प

का० आ० 1285.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गुजरात आद्योगिक विकास निगम को, डिबेंचरों के रूप में, उक्त निगम द्वारा जारी किये जाने वाले एक करोड़ इकतीस लाख रुपये अंकित मूल्य के बन्धपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के मद्दे प्रभार्य समेकित शुल्क संदाय करने की अनुज्ञा देती है।

[सं० 9/78-स्टाम्प-फा०सं० 33/18/78-वि०क०]

ओ० पी० मेहरा, उप सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th April, 1978

STAMPS

S.O. 1285.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Gujarat Industrial Development Corporation to pay consolidated stamp duty chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of one crore and thirtyone lakhs of rupees to be issued by the said Corporation.

[No. 9/Stamps-F. No. 33/18/78-ST]

O. P. MEHRA, Dy. Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1978

का०आ० 1286.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 31 और बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियां) नियम, 1966 का नियम 10 के उपबन्ध थोडूपुजा कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, थोडूपुजा पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उनका संबन्ध लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 30 जून, 1977 को समाप्त वर्ष के उसके तुलनपत्र तथा लाभहानि लेखे के समाचारपत्र में प्रकाशन से है।

[सं० एफ 8-2/78-ए०सी०]

महावीर प्रसाद वर्मा, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 19th April, 1978

S.O. 1286.—In exercise of the powers conferred by the section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 31 of the said Act and Rule 10 of the Banking Regulation (Co-operative Societies) Rules, 1966 shall not apply to the Thodupuzha Co-operative Bank Ltd., Thodupuzha in so far as they relate to the publication of its balance sheet, profit and loss account for the year ended the 30th June, 1977, together with the auditor's report in a newspaper.

[No. F. 8-2/78-AC]

M. P. VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1978

का० आ० 1287.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा श्री आर० रघुपति को 24 अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ होने वाली और 23 अप्रैल 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सिंडीकेट बैंक के प्रबन्धक निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 9/4/78-बी०ओ०-1(1)]

New Delhi, the 20th April, 1978

S.O. 1287.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri R. Raghupathy, as the Managing Director of the Syndicate Bank for the period commencing on 24th April, 1978 and ending with 23rd April, 1981.

[No. F. 9/4/78-B.O.I.-(1)]

का० आ० 1288.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा श्री आर० रघुपति को, जिन्हें 24 अप्रैल, 1978 से सिंडीकेट बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से सिंडीकेट बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 9/4/78-बी० ओ०-1 (2)]
बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 1288.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby appoints Shri R. Raghupathy who has been appointed as Managing Director of the Syndicate Bank with effect from 24th April, 1978 to be the Chairman of the Board of Directors of the Syndicate Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/4/78-B.O.I.-(2)]
BALDEV SINGH, Jt. Secy.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली

आदेश

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1977

का०आ० 1289.—सर्वश्री लाज इन्टर प्राइजिज 520/9 रेलवे रोड, गुड़गांव को लाइसेंस की संलग्न सूची के अनुसार आयात करने के लिए 16,400.00 रुपये मात्र का ला०सं०पी०/एस०/1816808/सी, दिनांक 16-2-76 प्रदान किया गया था। उन्होंने आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रिया विधि हैंड बुक, 1977-78 की कंडिका 320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अप्रैल-मार्च 76 की अवधि के लिए 16,400.00 रुपये का ला०सं० पी/एस/1846808/सी, दिनांक 16-2-1976 उपयोग में लाए बिना ही खो गया/अस्थानस्थ हो गया है और उसमें 16,400.00 रुपये की धन राशि अप्रयुक्त थी।

2. मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त ला० की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

3. अद्यतन यथा संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर 16,400.00 रुपये का ला०सं० पी/एस/1846808/सी दिनांक 16-2-76 को सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति का एतदद्वारा रद्द किया जाता है।

4. आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि हैंड बुक 1977-78 के पैरा 320 की व्यवस्थाओं के अनुसार उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जा रही है।

[मिसिल सं० एस-एल/1/ए.एम/76/एयू-11/सीएलए/3588]

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

Office of the Joint-Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi

ORDER

New Delhi, the 27th December, 1977

S.O. 1289.—M/s. Laj Enterprises, 520/9, Railway Road, Gurgaon, Haryana, were granted L. No. P/S/1846808|C dt. 16-2-76 for Rs. 16,400 only for import of as per list attached. They have filed an affidavit as required under para 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78, wherein they have stated that licence number P/S/1846808|C dated 16-2-1976 for Rs. 16400 for AM. 76 pd. has been lost/misplaced without having been utilised and un-utilised amount is for Rs. 16,400.

2. I am satisfied that the Custom Purpose Copy of the said licence has been lost/misplaced.

3. In exercise the powers conferred on me under subject clause 9(CC) in the Import Trade Control Order 1955 dt. 7-12-55 as amended upto date, the Custom Purpose Copy of said licence No. P/S/1846808|C dt. 16-2-1976 for Rs. 16,400 is hereby cancelled.

4. The applicant is now being issued duplicate Custom Purpose Copy of the said licence in accordance with the provisions of para 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78.

[F. No. S/L/1/AM-76/AU.II/CLA/3588]

आदेश

का०आ० 1290.—सर्वश्री लाज इन्टर प्राइजिज 520/9 रेलवे रोड, गुड़गांव (हरियाणा) को लाइसेंस की संलग्न सूची के अनुसार आयात करने के लिए 22,152 रुपये का लाइसेंस संख्या पी/एस/1818504/सी, दिनांक 30-8-1976 प्रदान किया गया था। उन्होंने आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि हैण्ड बुक, 1977-78 की कंडिका-320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अप्रैल-मार्च 77 की अवधि के लिए 22,152 रुपये का लाइसेंस संख्या पी/एस/1848504, दिनांक 30-8-1976 उपयोग में लाए बिना ही खो गया है और उसमें 22,152 रुपये की धनराशि अप्रयुक्त है।

2 मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

3 अद्यतन तथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955, की धारा 9(सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर 22,152 रुपये के अप्रयुक्त लाइसेंस संख्या पी/एस/1848504, दिनांक 30-8-1976 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

4 आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि हैण्डबुक, 1977-78 की कंडिका 320 की व्यवस्थाओं के अनुसार उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जा रही है।

[संख्या-एस/एल/1/ए एम-77/एच एच/एयू-26 सी एल ए/3/21]

ORDER

S.O. 1290.—M/s. Laj Enterprises, 520/9, Railway Road, Gurgaon, (Haryana) were granted licence No. P/S/1848504/C dated 30-8-1976 for Rs. 22,152 for import of As per list attached. They have filed an affidavit as required under para 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78 wherein they have stated that licence number P/S/1848504/dated 30-8-1976 for Rs. 22,152 for AM-77 period has been lost/misplaced without having been utilised and the unutilised amount is for Rs. 22,152.

2. I am satisfied that the Custom Purpose Copy of said licence has been lost/misplaced

3. In exercise the powers conferred on me under subject clause 9(CC) in the Import Trade Control Order 1955 dated

7-12-55 as amended upto date, the said licence No. P/S/1848503, dated 30-8-1976 for Rs. 22,152 is hereby cancelled.

4. The applicant is now being issued duplicate Custom Purpose Copy of the said licence in accordance with the provision of para 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78.

[F. No. S/L/1/AM-77/AU.II/CLA/3621]

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1977

आदेश

का०आ० 1291.—सर्वश्री लाज इन्टरप्राइजिज 520/9 रेलवे रोड, गुड़गांव (हरियाणा) को लाइसेंस की संलग्न सूची के अनुसार पोलोराइजिंग सूक्ष्मदर्शी और अन्य मदों के लिए विश्लेषक और संयोजक यंत्र के आयात के लिए 1,90,367 रुपये और 81,485 रुपये के लाइसेंस संख्या पी/एस/1915464 और 1915465, दोनों दिनांक 15-9-1977 प्रदान किए गए थे। उन्होंने आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि हैण्ड बुक, 1977-78 की कंडिका 320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 1,90,367 रुपये और 81,485 रुपये के लिए लाइसेंस संख्या पी/एस/1915464 और पी/एस/1915465 दोनों दिनांक 15-9-77 की सीमा शुल्क और मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं, पहले का 18369.83 रुपये के लिए उपयोग कर लिया गया था और दूसरा उपयोग में नहीं लाया गया था। पहले में 171997.17 रुपये की धनराशि अप्रयुक्त है और दूसरे में 81,485 रुपये अप्रयुक्त है।

2 मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां खो गई अस्थानस्थ हो गई है।

3 अद्यतन यथा संशोधित, आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सी सी) के अधीन मेरे लिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर 1,90,367 रुपये और 81,485 रुपये के लिए उपर्युक्त दोनों लाइसेंस संख्या-पी/एस/1915464/सी और पी/एस/1915465 सी दोनों दिनांक 15-9-77 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

4. आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रिया विधि हैण्डबुक, 1977-78 के पैरा 320 की व्यवस्थाओं के अनुसार उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां जारी की जा रही है।

[मिसिल संख्या एल-2/एच०एच०/ए०एम०-78/ए०यू०-2/सी०एल० ए०/3706])

के०बी० चौधरी, उप-मुख्य नियंत्रक
कृते मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 30th December, 1977

S.O. 1291.—M/s. Laj Enterprises, 520/9, Railway Road, Gurgaon (Haryana) were granted licence Nos. P/S/1915464 and P/S/1915465 both dated 15-9-1977 for Rs. 1,90,367 and Rs. 81,485 for import of Analysers and Compensations for polorising Microscope and other items as per list attached. They have filed an affidavit as required under para 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78, wherein they have stated that Custom and Exchange Control Copies of licence number(s) P/S/1915464 and P/S/1915465 both dated 15-9-1977 for Rs. 1,90,367 and Rs. 81,485 have been lost/misplaced 1st partly utilised for Rs. 18369.83 and 2nd without having been utilised. The unutilised amount for 1st licence is for Rs. 171997.17 paise, and for 2nd is Rs. 81,485.

2. I am satisfied that the Custom and Exchange Control copies of said licence has been lost/misplaced.

3. In exercise the powers conferred on me under subject clause 9(cc) in the import Trade Control Order 1955 dt. 7-12-55 as amended upto date the said two licence Nos. P/S/1915464/C and P/S/1915465/C dated 15-9-77 for Rs. 1,90,367 and Rs. 81,485 is hereby cancelled.

4. The applicant is now being issued duplicate Custom and Exchange Control Copies of the said licence in accordance with the provisions of para 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78.

[F. No. L-2/HH/AM-78/HH/AU-II/CLA/3706]
K. B. CHAUDHARY, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1978

का०आ० 1292—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है—

1. वायदा बाजार आयोग, बम्बई।
2. भारतीय वैध माप-विज्ञान संस्थान, रांची (बिहार)।
3. कार्यालय सहायक निदेशक (तोल तथा माप) नई दिल्ली।

[संख्या ई-11012/14/76-हिन्दी]
एल० जी० भाटिया, अवर सचिव

(Deptt. of Civil Supplies & Cooperation)

New Delhi, the 18th April, 1978

S.O. 1292.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following Offices the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi:

1. *Forward Markets Commission, Bombay*
2. Indian Institute of Legal Meterology, Ranchi (Bihar)
3. Office of the Assistant Director (Weights and Measures), New Delhi.

[No. F. 11012/14/76-Hindi]
L. G. BHATIA, Under Secy.

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1978

का० आ० 1293.—समय-समय पर संशोधित मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी०एम०/एल०-5283 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, लाइसेंसधारी की प्रार्थना पर 1977-12-16 से रद्द कर दिया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी एम/एल-5283 1976-06-08	मेसर्स एम्को जनरल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, बंधगुरा, बोलपुर जिला बीरभूम, प० बंगाल इनका कार्यालय 44-ए रफी अहमद किदवई रोड, कलकत्ता-700014 में है।	उच्च घनत्व पाली इथाइलीन पाइप : (i) बाहरी व्यास 90 मि०मी० तक 4 कि०ग्राफ/सेमी² दाब रेटिंग वाले। (ii) बाहरी व्यास 160 मिमी० तक 6 कि०ग्राफ/सेमी² दाब रेटिंग छाप 'एम्कोथीन'।	IS 4984-1972 सप्लाई से पानी भरने के लिए उच्च घनत्व पोलीइथाइलीन पाइप की विशिष्टि। (पहला पुनरीक्षण)

[संख्या सी एम डी/55 · 5283]

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 18th April, 1978

S.O. 1293.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-5283 particulars of which are given below has/have been cancelled with effect from 1977-12-16 at the firm's request.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-5283 1976-06-08	M/s. Emco General Plastic Industries Pvt. Ltd., Bandhgura, Bolpur, Distt. Birbhum, West Bengal having their office at 44-A, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-700014.	High Density polyethylene Pipe : (i) Upto and including 90 mm O/D 4 Kgf/Cm² pressure rating. (ii) Upto and including 160 mm O/D 6 Kgf/CM² pressure rating Brand 'EMCOTHENE'.	IS : 4984-1972 Specification for high density polyethylene pipes for potable water supplies. (First Revision).

[No. CMD/55 : 5283]

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1978

का० आ० 1294—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है लाइसेंस संख्या सी एम/एल-6344 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, 1977-08-16 से रद्द कर दिया गया है, क्योंकि IS 2581-1968 के अन्तर्गत आने वाले तार के रस्से फर्म के लाइसेंस संख्या सी एम/एल-6334 में शामिल कर दिए गए हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंसों के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी एम/एल-6344 1977-08-12	मेसर्स प्लाईट वायर प्राडक्ट्स लि०, पथिरापल्ली अलेप्पी जिला (केरल राज्य) इनका कार्यालय XXX/467 ई, एम० जी० रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682016 (केरल राज्य)।	जहाजरानी कार्यों के लिए 8 से 28 मिमी साइज के गोल लड़वार जस्तीकृत इस्पात के तार के रस्से।	IS 2581-1968 जहाजरानी कार्यों के लिए गोल लडवार जस्तीकृत इस्पात के तार के रस्सों की विशिष्टि। (पहला पुनरीक्षण)

[संख्या सी एम डी/55 : 6344]

वाई० एस० वेंकटेश्वरम्, अपर महानिदेशक

New Delhi, the 20th April, 1978

S.O. 1294.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-6344 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 77-08-16 because Wire rope covered in IS : 2581-1968 have been since included in firm's licence No. CM/L-6334.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-6344 1977-08-12	M/s. Pearlite Wire Products Ltd., Pathirapally, Alleppey Distt., (Kerala State) having their office at XXX/467-E, M. G. Road, Ernakulam, Cochin-682016 (Kerala).	Round Strand galvanized steel wire ropes for shipping purposes, sizes 8 to 28 mm.	IS : 2581-1968 Specification for round strand galvanized steel wire ropes for shipping purposes (First Revision).

[No. CMD/55 : 6344]

Y. S. VENKATESWARAN, Additional Director General, ISI

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1978

का०आ० 1295/15/उ०वि०वि०अ०/78.—केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 61(अ)/15/उ०वि०वि०अ०/78, तारीख 3 फरवरी, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, अंतिम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उपर्युक्त निकाय 16 मई, 1978 से पूर्व अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।"

[फा०सं० 3/1/78-सी यू सी]

आर०आर० पाहवा, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Depratment of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th April, 1978

S.O. 1295/15/DRA/78.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 61(E)/15/IDRA/78 dated the 3rd February, 1978, namely :—

In the said Order, for the last paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"The above body shall submit its report to the Central Government before the 16th May, 1978."

[File No. 3/1/78-CUC]

R. R. PAHWA, Under Secy.

81 GI/78—2.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1978

का०आ० 1296.—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् इसके द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची में:—

(1) अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

"मगध विश्वविद्यालय	बैचलर आफ मेडिसन एण्ड एम०बी० बी० एस० बैचलर आफ सर्जरी	31 मार्च, 1979 से पहले प्रदान की गई अर्हताएं मान्य चिकित्सा अर्हताएं होंगी।
भागलपुर विश्वविद्यालय	बैचलर आफ मेडिसन एण्ड एम० बी० बी० एस० बैचलर आफ सर्जरी	31 मार्च, 1979 से पहले प्रदान की गई अर्हताएं चिकित्सा मान्य अर्हताएं होंगी" ;

(2) उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय सिलीगुड़ी संबन्धी प्रविष्टियों में पंजीकरण का "संक्षेपण" वाले कालम की प्रविष्टि में 14 फरवरी, 1978" के शब्द और अंकों के स्थान पर "14 फरवरी, 1979" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जाएं ;

(3) गोरखपुर विश्वविद्यालय संबन्धी प्रविष्टियों में "पंजीकरण का संक्षेपण" वाले कालम की प्रविष्टि में "30 अप्रैल, 1978" के शब्द और अंकों के स्थान पर "30 अप्रैल, 1979" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जाएं।

[सं०वी० 11013/4/78-एम०ई० (पी)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 19th April, 1978

S.O. 1296.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following

further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule :—

(1) the following entries shall be added at the end, namely :—

"Magadh University	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery.	M.B.B.S.

This qualification shall be recognised medical qualification when granted before 31st March, 1979.

Bhagalpur University	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery.	M.B.B.S.

This qualification shall be recognised medical qualification when granted before the 31st March, 1979";

(2) in the entries relating to the North Bengal University, Siliguri, in the entry in the Column "Abbrevation for registration", for the figures, letters and word "14th February 1978"; the figures, leters and word "14th February, 1979" shall be substituted;

(3) in the entries relating to the Gorakhpur University, in the entry in the column "Abbrevation for registration", for the figures, letters and word "30th April, 1978", the figures, letters and word "30th April, 1979" shall be substituted."

[No. V. 11015/4/78-ME(P)]

आदेश

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1978

का० आ० 1297.—यतः भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 20 अप्रैल, 1978 की अधिसूचना संख्या बी० 11016/21/77-एम पी टी/एम ई (पी) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए कॉरनेल यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क यू० एस० ए० द्वारा प्रदत्त "एम० डी० (कॉरनेल यूनिवर्सिटी)" चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी;

और यतः डा० विलियम एलेन विन्सलो जिनके पास उक्त अर्हता है, धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल रामकृष्ण मिशन ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम, पो० रामकृष्ण सेनेटोरियम, रांची के साथ सम्बद्ध हैं;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा :—

(1) 31-12-1978 तक की अवधि । अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० विलियम एलेन विन्सलो, रामकृष्ण मिशन ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम पो० रामकृष्ण सेनेटोरियम, रांची के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर उक्त संस्था में, प्रैक्टिस कर सकेंगे।

[सं० बी० 11016/21/77-एमपीटी/एम ई (पी)]

ORDER

New Delhi, the 20th April, 1978

S.O. 1297.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. V. 11016/21/77 MPT/ME(P) dated the 20th April, 1978, the Central Government has directed that the Medical qualification, "MD, (Cornell University)" granted by the Cornell University, New York, U.S.A., shall be recognised medical qualifications for the purposes of the Indian Medical Council Act 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. William Winslow, who possesses the said qualification is for the time-being attached to the Ramakrishna Mission Tuberculosis Sanatorium, P.O. Ramakrishna Sanatorium Ranchi for the purposes of Charitable work.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies :—

(i) a period upto 31-12-1978, or

(ii) the period during which Dr. William Allen Winslow is attached to the said Ramakrishna Mission Tuberculosis Sanatorium, P.O. Ramakrishna Sanatorium Ranchi.

which is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited to the said institution.

[No. V. 11016/21/77-MPT/ME(P)]

का० आ० 1298.—भारतीय चिकित्सा परिषद्, अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श लेने के पश्चात् एतद्द्वारा निदेश करती है कि कॉरनेल यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क यू० एस० ए० द्वारा प्रदत्त एम० डी० चिकित्सा अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक मान्य चिकित्सा अर्हता होगी।

[सं० बी० 11016/21/77-एम०पी०टी०/एम०ई० (पी०)]

एन० एस० बक्शी, उप सचिव

S.O. 1298.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consultation with the Medical Council of India, hereby directs that the Medical qualification M.D. granted by the Cornell University, New York, U.S.A., shall be a recognised medical qualification for the purposes of this Act.

[No. V. 11016/21/77-MPT/ME(P)]
N. S. BAKSHI, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 18, अप्रैल 1978

का०आ० 1299.—जबकि भूतपूर्व हैदराबाद, खान व ईंधन मंत्रालय (खान व ईंधन विभाग) भारत सरकार की, कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण व विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन दिनांक 29 फरवरी, 1960 को जारी अधिसूचना संख्या सा०आ० 529 के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने ग्राम रेलीगरा और दरी, थाना मंडू, जिला हजारी बाग (बिहार) में 599.02 एकड़ भूमियों का अधिग्रहण किया है ;

और जबकि रेलीगरा ग्राम के बसु बेदिया पुत्र गुरुदयाल बेदिया, नेवला बेदिया और महावीर बेदिया पुत्र किरकिटा बेदिया, शिव दयाल बेदिया पुत्र गपचू बेदिया, बलवा बेदिया और गिरधारी बेदिया पुत्र लच्छू बेदिया, सुखदेव बेदिया पुत्र कड़ोनाथ बेदिया, भादे और खट्टू पुत्र लोकिया बेदिया और मुटरा बेदिया, जगदेव, रामकृष्ण बेदिया और राम लखन बेदिया पुत्र पंडित बेदिया नामक निहित हित वाले व्यक्तियों ने उक्त अधिग्रहण में से 0.42 एकड़ क्षेत्र का मुआवजा देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को अपने दावे प्रस्तुत किए हैं ;

और जबकि उक्त अधिग्रहण के लिए देय मुआवजे की रकम समझौते द्वारा निश्चित नहीं हो सकी, क्योंकि मुआवजे के रूप में दी जाने वाली रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद था, और चूंकि इस प्रकार दी जाने वाली रकम के लिए निहित हित वाले व्यक्तियों ने विरोध के साथ स्वीकृति दी है ;

अब, इसलिए, केन्द्र सरकार, कोयला धारी क्षेत्र (प्राधिग्रहण व विकास) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, एक न्यायाधिकरण का गठन करती है जिसमे श्री चन्द्र शेखर सिंह, अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश, रांची न्यायाधिकारी हैं।

[फा० सं० 19(58) 77-सी०एल० (1)]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 18th April, 1978

S.O. 1299.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel), No. S.O. 529, dated the 29th February, 1960 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government has acquired the lands measuring 599.02 acres in village Religara and Dari Thana Mandu, District Hazaribagh (Bihar).

And whereas Basu Bediya S/o. Gurudayal Bediya, Newain Bediya and Mahabir Bediya Sons of Kirkita Bediya, Sheo Dayal Bediya Son of Gapchu Bediya, Balwa Bediya and Giridhari Bediya Sons of Lachua Bediya Sukhdeo Bediya Son of Karinat Bediya, Bhade and Battu Sons of Lohia Bediya and Mutra Bediya, Jagdeo, Ram Krishun Bediya and Ram Lakhan Bediya Sons of Pandit Bediya, of village Religarah, these persons intersted have under section 13 of the said Act, preferred their claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.42 acres out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered and as the amount so offerec have been accepted by the persons interested under protest;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Sri Chandra Shekhar Singh Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[File No. 19(58)/77 CL(I)]

का०आ० 1300.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन निकाली गई भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय (खान और ईंधन विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 1275 तारीख 16-5-60 के अनुसरण में, ग्राम रेलिगरा और दारी थाना मंडू, जिला हजारी बाग (बिहार) में 267 65 एकड़ माप की भूमि का अर्जित कर लिया है।

और ग्राम रेलिगरा के किनुआ बेदिया सुपुत्र शिवदयाल बेदिया, सुखदेव बेदिया सुपुत्र करिनाथ बेदिया, जो कि अवयस्क होने के कारण अपनी मा ततरी नवल बेदिया के संरक्षकताधीन है, महाबी बेदिया सुपुत्र किरकिता बेदिया, भदुआ बेदिया और लटू बेदिया सुपुत्र लहरी बेदिया मुत्रा बेदिया सुपुत्र जगदेव बेदिया और रामकृष्ण बेदिया तथा राम लखन बेदिया सुपुत्र पंडित बेदिया, ने जो हितबद्ध व्यक्ति है, उक्त अर्जित भूमि में से 1 93 एकड़ क्षेत्रफल भूमि के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी को, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, दावा प्रस्तुत किया है।

और उक्त अर्जित भूमि के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकती है, और इस विषय मे विवाद है कि प्रस्थापित प्रतिकर की रकम पर्याप्त है तथा इस प्रकार प्रस्थापित रकम का हितबद्ध व्यक्तियों ने अभ्यापत्ति के साथ स्वीकार किया है।

अत, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 के 20) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक अधिकरण गठित करती है जिसमे श्री चन्द्रशेखर सिंह, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, रांची होंगे।

[फा० सं० 19(58)/77-सी०एल० (2)]

S.O. 1300.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel) No. S.O. 1275 dated the 16-5-60 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government has acquired the lands measuring 267.65 acres in village Religara and Dari Thana Mandu, District Hazaribagh (Bihar).

And whereas Kinua Bedia S/o. Sheodayal Bedia Sukhdeo Bedia S/o. Karinath Bedia being minor under guardianshin of his mother Tatari Nawal Bedia and Mahabir Bedia S/o. Kirkita Bedia Bhadea Bedia and Latu Bedia S/o. Larha Bedia Mutra Bedia S/o. Jagdeo Bedia and Ramkrishun Bedia and Ram Lakhan Bedia S/o. Pandit Bedia of village Religara, the persons interested have under section 13 of the said Act, preferred their claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 1 93 acres out of the said acquisition.

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered and as the amount so offered have been accepted by the persons interested under protest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act 1957 (20 of 1957) the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Sri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Session Judge, Ranchi.

[F. No. 19(58)/77-C.L.(2)]

का०आ० 1301.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन निकाली गई भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय (खान और ईंधन विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 1275 तारीख 16-5-1960 के अनुसरण में, ग्राम रेलिगरा और दारी थाना मंडू, जिला हजारी बाग (बिहार) मे 267 65 एकड़ माप की भूमि को अर्जित कर लिया है।

और ग्राम दारी के बाबूराम मांझी सुपुत्र सोमरा मांझी, धेना मांझी सुपुत्र सुखराम मांझी, जीवन मांझी सुपुत्र बाबू मांझी और महादेव मांझी सुपुत्र भाजू मांझी ने, जो हितबद्ध व्यक्ति है, उक्त अर्जित भूमि में से 0 07 एकड़ क्षेत्रफल भूमि के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी को, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, दावा प्रस्तुत किया है।

और उक्त अर्जित भूमि के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकती है, और इस विषय मे विवाद है कि प्रस्थापित प्रतिकर की रकम पर्याप्त है तथा इस प्रकार प्रस्थापित रकम का हितबद्ध व्यक्तियों ने अभ्यापत्ति के साथ स्वीकार किया है।

अत, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक अधिकरण गठित करती है जिसमे श्री चन्द्रशेखर सिंह, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, रांची होंगे।

[फा० सं० 19(58) 77-सी०एल० (3)]

S.O. 1301.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel), No. S.O. 1275 dated the 16-5-1960 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 267.65 acres in village Religara and Dari Thana Mandu, District Hazaribagh (Bihar).

And whereas Baburam Manjhi S/o Somara Manjhi, Dhena Manjhi S/o Sukhram Manjhi Jiwan Manjhi S/o Baku Manjhi and Mahadeo Manjhi S/o Bhaju Manjhi of Village Dari, the persons interested have under section 13 of the said Act, preferred their claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.07 acres out of the said acquisition.

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered and as the amount so offered have been accepted by the persons interested under protest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, (20 of 1957) the Central Government hereby constitues a Tribunal consisting of Sri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Session Judge, Ranchi.

[F. No. 19(58)/77-C.L (3)]

का० आ० 1302.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन निकाली गई भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय (खान और ईंधन विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 529 तारीख 29 फरवरी, 1960 के अनुसरण में, ग्राम रेलिगरा और दारी थाना मंडू जिला हजारी बाग (बिहार) में 599.02 एकड़ माप की भूमि को अर्जित कर लिया है ।

और ग्राम दारी के गफूर मियां सुपुत्र सहामत मियां ने, जो हितबद्ध व्यक्ति हैं, उक्त अर्जित भूमि में से 0.03 एकड़ क्षेत्र-फल भूमि के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी को, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, दावा प्रस्तुत किया है ।

और उक्त अर्जित भूमि के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकती है, और इस विषय में विवाद है कि प्रस्थापित प्रतिकर की रकम पर्याप्त है तथा इस प्रकार प्रस्थापित रकम को हितबद्ध व्यक्तियों ने अभ्यापत्ति के साथ स्वीकार किया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्रशेखर सिंह, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[फा०सं० 19(58)/77-सी०एल०(4)]

S.O. 1302.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel), No. S.O. 529, dated the 29th February, 1960 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government has acquired the lands measuring 599.02 acres in village Religara and Dara Thana Mandu District Hazaribagh (Bihar).

And whereas Gafoor Mian S/o Sahamat Mian of village Dari the persons interested have under section 13 of the said Act, preferred their claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.03 acres out of the said acquisition.

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being dispute as to the suffeciency of the amount of compensation offered and as the amount so offered have been accepted by the persons interested under protest.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Sri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Session Judge, Ranchi.

[F. No. 19(58)/77-CL(4)]

का०आ० 1303.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन निकाली गई भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय (खान और ईंधन विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 529 तारीख 29 फरवरी, 1960 के अनुसरण में, ग्राम रेलिगरा और दारी थाना मंडू, जिला हजारी बाग (बिहार) में 599.02 एकड़ माप की भूमि को अर्जित कर लिया है ।

और ग्राम दारी के बाबूराम मांझी सुपुत्र सोमरा मांझी, धेना मांझी सुपुत्र सुखराम मांझी, जीवन मांझी सुपुत्र बकू मांझी और महादेव मांझी सुपुत्र भाजू मांझी ने, जो हितबद्ध व्यक्ति हैं, उक्त अर्जित भूमि में से 3.19 एकड़ क्षेत्रफल भूमि के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी को, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, दावा प्रस्तुत किया है ।

और उक्त अर्जित भूमि के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकती है, और इस विषय में विवाद है कि प्रस्थापित प्रतिकर की रकम पर्याप्त है तथा इस प्रकार प्रस्थापित रकम को हितबद्ध व्यक्तियों ने अभ्यापत्ति के साथ स्वीकार किया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्रशेखर सिंह, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[फा० सं० 19(58) 77-सी०एल०(5)]

S.O. 1303.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel), No. S.O. 529, dated the 29th February, 1960 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government has acquired the lands measuring 599.02 acres in village Religara and Dari Thana Mandu District Hazaribagh (Bihar).

And whereas Baburam Manjhi S/o, Somara Manjhi, Dhena Manjhi S/o. Sukharam Manjhi, Jiwan Manjhi, S/o. Baku Manjhi and Mahadeo Manjhi S/o. Bhoju Manjhi of village Dari, the persons interested have under section 13 of the said Act, preferred their claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 3.19 acres out of the said acquisition.

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, here being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered and as the amount so offered have been accepted by the persons interested under protest.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act 1957, (20 of 1957) the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Sri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Session Judge, Ranchi.

[F. No. 19(58)/77-C.L.(5)]

का०आ० 1304.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन निकाली गई भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय

(खान और ईंधन विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 529 तारीख 29 फरवरी, 1960 के अनुसरण में, ग्राम रेलिगरा और दारी थाना मडु, जिला हजारीबाग (बिहार) में 599.02 एकड़ माप की भूमि को अर्जित कर लिया है ।

और ग्राम दारी के पूरन मिया सुपुत्र अज्माली मिया और साहेबान मिया तथा उसमान मिया सुपुत्र छेदी मियां, ने जो हितबद्ध व्यक्ति है, उक्त अर्जित भूमि में से 1.50 एकड़ क्षेत्रफल भूमि के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी को, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन दावा प्रस्तुत किया है ।

और उक्त अर्जित भूमि के लिए सदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकती है, और इस विषय में विवाद है कि प्रस्थापित प्रतिकर की रकम पर्याप्त है तथा इस प्रकार प्रस्थापित रकम को हितबद्ध व्यक्तियों ने अभ्यापत्ति के साथ स्वीकार किया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्रशेखर सिंह, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[फा० सं० 19(58)/77-सी०एल०(6)]

S.O. 1304.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel), No S.O. 529, dated the 29th February, 1960 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government has acquired the lands measuring 599.02 acres in village Religara and Dari Thana Mandu, District Hazaribagh (Bihar).

And whereas Puran Mian S/o. Azmali Mian and Saheban Mian & Usman Mian S/o Chedi Mian of village Dari, the persons interested have under section 13 of the said Act, preferred their claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 1.50 acres out of the said acquisition.

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered and as the amount so offered have been accepted by the persons interested under protest.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government hereby 2constitutes a Tribunal consisting of Sri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Session Judge, Ranchi.

[F. No. 19(58)/77-C.L.(6)]

का० आ० 1305.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन निकाली गई भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय (खान और ईंधन विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 529 तारीख 29 फरवरी, 1960 के अनुसरण मे, ग्राम रेलिगरा और दारी थाना मडु, जिला हजारी बाग (बिहार) में 599.02 एकड़ माप की भूमि को अर्जित कर लिया है ।

और ग्राम रेलिगरा के किनुआ बेदिया सुपुत्र शिव दयाल बेदिया, बसु बेदिया सुपुत्र गुरु दयाल बेदिया, नवल बेदिया और महाबीर बेदिया सुपुत्र करकेता बेदिया, सुखदेव बेदिया, अवयस्क, अपनी मां ततरी धर्म पत्नी करिनाथ बेदिया की मार्फत, बहना बेदिया और गिरिधारी बेदिया सुपुत्र लुटुआ बेदिया, मुतर बेदिया सुपुत्र जगदेव बेदिया और रामकृष्ण बेदिया तथा रामलखन बेदिया सुपुत्र पण्डित बेदिया ने, जो हितबद्ध व्यक्ति है, उक्त अर्जित भूमि में से 5.47 एकड़ क्षेत्रफल भूमि के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी को, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, दावा प्रस्तुत किया है ।

और उक्त अर्जित भूमि के लिए सदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकती है, और इस विषय में विवाद है कि प्रस्थापित प्रतिकर की रकम पर्याप्त है तथा इस प्रकार प्रस्थापित रकम को हितबद्ध व्यक्तियों ने अभ्यापत्ति के साथ स्वीकार किया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1967 (1917 का 20) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक अधिकरण गठित करती है जिसमे श्री चन्द्रशेखर सिंह, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[फा० सं० 19(58)/77 सी० एल(7)]

S.O. 1305.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines & Fuel (Department of Mines and Fuel), No. S.O. 529, dated the 29th February, 1960 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government has acquired the lands measuring 599.02 acres in village Religara and Dari Thana Mandu, District Hazaribagh (Bihar).

And whereas Kinu Bedia S/o Sheo Dayal Bedia, Basu Bedia S/o Guridayal Bedia, Nawal Bedia & Mahabir Bedia S/o Kerketa Bedia Sukhdeo Bedia minor through his mother Tatari W/o Karinath Bedia, Bahna Bedia & Giridhari Bedia S/o Lutua Bedia, Mutar Bedia, S/o Jagdeo Bedia and Ramkishan Bedia Ramlakhan Bedia S/o Pandit Bedia of village Religara, the persons interested have under section 13 of the said Act, preferred their claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 5.47 acres out of the said acquisition.

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered and as the amount so offered have been accepted by the persons interested under protest.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act 1957 (20 of 1957) the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Sri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Session Judge, Ranchi.

[F. No. 19(58)/77-C.L.(7)]

का०आ० 1306.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन निकाली गई भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय (खान और ईंधन विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1275 तारीख 16-5-1960 के अनुसरण में, ग्राम रेलिगरा और दारी थाना मंडु, जिला हजारी बाग (बिहार) मे 267.65 एकड़ माप की भूमि को अर्जित कर लिया है ।

और ग्राम रेलिगरा के बणिया बेदिया और बुलाना बेदिया सुपुत्र सुकर बेदिया, राधना बेदिया, परसा बेदिया और सहजनाथ बेदिया सुपुत्र अकलू बेदिया, पहारग बेदिया सुपुत्र बुलाना बेदिया और सनिचरवा बेदिया तथा सचिन्द्र बेदिया सुपुत्र प्रसाद बेदिया ने, जो हितबद्ध व्यक्ति हैं, उक्त अर्जित भूमि में से 0.35 एकड़ क्षेत्रफल भूमि के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी को, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन दावा प्रस्तुत किया है ।

और उक्त अर्जित भूमि के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकती है, और इस विषय में विवाद है कि प्रस्थापित प्रतिकर की रकम पर्याप्त है तथा इस प्रकार प्रस्थापित रकम को हितबद्ध व्यक्तियों ने अध्यापत्ति के साथ स्वीकार किया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक अधिकरण गठित करता है जिसमें श्री चन्द्रशेखर सिंह, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[फा० सं० 19(58)/77 सी० एल० (8)]

S.O. 1306.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel), No. S.O. 1275 dated the 16-5-1960 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government has acquired the lands measuring 267.65 acres in village Religara and Dari Thana Mandu, District Hazaribagh (Bihar).

And whereas Banshia Bedia and Butana Bedia S/o. Sukar Bedia, Radhana Bedia, Parsa Bedia and Sahajnath Bedia S/o. Aklu Bedia, Maharang Bedia S/o. Butna Bedia, and Sanicharwa Bedia and Sachindra Bedia S/o. Prasad Bedia of village Religara, the persons interested have under section 13 of the said Act, preferred their claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.35 acres out of the said acquisition.

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered and as the amount so offered have been accepted by the persons interested under protest.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Sri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Session Judge, Ranchi.

[F. No. 19(58)/77-CL(8)]

का० आ० 1307.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन निकाली गई भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय (खान और ईंधन विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 529 तारीख 29 फरवरी, 1960 के अनुसरण में, ग्राम रेलिगरा और दारी थाना मंडू, जिला हजारी बाग (बिहार) में 599.02 एकड़ माप की भूमि अर्जित कर लिया है ।

और ग्राम दारी के बंशी मांझी, कैला मांझी और बाबू लाल मांझी सुपुत्र होपना मांझी ने, जो हितबद्ध व्यक्ति है, उक्त अर्जित भूमि में से 0.91 एकड़ क्षेत्रफल भूमि के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी को, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, दावा प्रस्तुत किया है ।

और उक्त अर्जित भूमि के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकती है और इस विषय में विवाद है कि प्रस्थापित प्रतिकर की रकम पर्याप्त है तथा इस प्रकार प्रस्थापित रकम को हितबद्ध व्यक्तियों ने अध्यापत्ति के साथ स्वीकार किया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्रशेखर सिंह अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[फा० सं० 19(58)/77-सी० एल० (9)]

S.O. 1307.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel), No. S.O. 529, dated the 29th February, 1960 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government has acquired the lands measuring 599.02 acres in village Religara and Dara Thana Mandu, District Hazarabagh (Bihar).

And whereas Banshi Manjhi, Kaila Manjhi and Babulal Manjhi S/o. Houpna Manjhi of village Dari, the persons interested have under section 13 of the said Act, preferred their claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.94 acres out of the said acquisition.

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered and as the amount so offered have been accepted by the persons interested under protest.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act 1957, (20 of 1957) the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Sri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Session Judge, Ranchi.

[F. No. 19(58)/77-CL(9)]

का० आ० 1308—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन निकाली गई भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय (खान और ईंधन विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1275 तारीख 16-5-1960 के अनुसरण में, ग्राम रेलिगरा और दारी थाना मंडू, जिला हजारी बाग (बिहार) में 267.65 एकड़ माप की भूमि को अर्जित कर लिया है ।

और ग्राम दारी के मंसा मांझी सुपुत्र छोटका मांझी, मोतीलाल मांझी और महिलाल मांझी सुपुत्र जनकू मांझी और टीकाराम मांझी, बाबूलाल मांझी तथा धोनू मांझी सुपुत्र सुखराम मांझी, ने, जो हितबद्ध व्यक्ति है, उक्त अर्जित भूमि में से 0.70 एकड़ क्षेत्र फल भूमि के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी को, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, दावा प्रस्तुत किया है ।

और उक्त अर्जित भूमि के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकती है, और इस विषय में विवाद है कि प्रस्थापित प्रतिकर की रकम पर्याप्त है तथा इस प्रकार प्रस्थापित रकम को हितबद्ध व्यक्तियों ने अध्यापत्ति के साथ स्वीकार किया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्रशेखर सिंह, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[फा० सं० 19(58)/77 सी० एल० (10)]

S.O. 1308.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines & Fuel (Department of Mines and Fuel), No S.O. 1275, dated 16-5-1960 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government has acquired the lands measuring 267.65 acres in village Religara and Dari Thana Mandu, District Hazarigabh (Bihar).

And whereas Mansa Manjhi S/o Chotka Manjhi Motilal Manjhi and Mahilal Manjhi S/o Janku Manjhi and Tikaram Manjhi Babulal Manjhi and Dhonu Manjhi S/o. Sukhram Manjhi of village Dari, the persons interested have under section 13 of the said Act, preferred their claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.70 acres out of the said acquisition.

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered and as the amount so offered have been accepted by the persons interested under protest.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Sri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Session Judge, Ranchi.

[F. No. 19(58)/77-C.L.(10)]

का० आ० 1309.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन निकाली गई भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय (खान और ईंधन विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 529 तारीख 29 फरवरी, 1960 के अनुसरण में, ग्राम रेलिगरा और दारी थाना मंडू, जिला हजारी बाग (बिहार) में 599 02 एकड़ माप की भूमि को अर्जित कर लिया है ।

और ग्राम दारी के बंशी मांझी, कैला मांझी और बाबूलाल मांझी सुपुत्र होपना मांझी ने, जो हितबद्ध व्यक्ति है, उक्त अर्जित भूमि में से 5.83 एकड़ क्षेत्रफल भूमि के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी को, अधिनियम की धारा 13 के अधीन, दावा प्रस्तुत किया है ।

और उक्त अर्जित भूमि के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकती है, और इस विषय में विवाद है कि प्रस्थापित प्रतिकर की रकम पर्याप्त है तथा इस प्रकार प्रस्तावित रकम को हितबद्ध व्यक्तियों ने अध्यापसि के साथ स्वीकार किया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्रशेखर सिंह, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, राँची होंगे ।

[फा० सं० 19(58) 77 सी० एल० (11)]

S.O. 1309.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel), No. S.O. 529, dated the 29th February, 1960 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government has acquired the lands measuring 599.02 acres in village Religara and Dari Thana Mandu, District Hazaribagh (Bihar).

And whereas Banshi Manjhi, Kaila Manjhi and Babulal Manjhi S/o. Hopna Manjhi of village Dari, the persons interested have under section 13 of the said Act, preferred their claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 5.83 acres out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered and as the amount so offered have been accepted by the persons interested under protest;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act 1957 (20 of 1957) the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Sri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Session Judge, Ranchi.

[F. No. 19(58)/77-CL(11)]

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1978

का० आ० 1310—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र में की भूमि से कोयला अभिप्राप्त होने की सम्भावना है—

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में कोयले के पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय, बिसेसर हाउस, टेम्पल रोड, नागपुर 1 में, या कलेक्टर के कार्यालय, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र राज्य) में, या कोयला नियंत्रक के कार्यालय, 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शे चार्ट और अन्य दस्तावेज, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, बिसेसर हाउस, टेम्पल रोड, नागपुर 1 को देंगे ।

अनुसूची "क"

वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र

जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

ड्राइंग सं० सी-1(ई) III-आर० जे० 0221077

तारीख 21-11-1977

(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शित की गई है)

अल्लारपुर विस्तार ब्लाक-1

क्रम सं०	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं०	तहसील	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पणियां
1.	बीसापुर	7	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर		आंशिक ग्राम
2.	अल्लारपुर	7	,,	,,		,,
3.	कदोली	81	राजुरा	,,		पूर्ण ग्राम
4.	कोलगाव	79	,,	,,		
5	मनोली	80	,,	,,		,,
6.	बाबापुर	—	,,	,,		आंशिक ग्राम
7.	सस्ती	—	,,	,,		,,
8.	गौरी	—	,,	,,		,,

कुल क्षेत्रफल : 7098-27 एकड़ (लगभग)
या 2872-53 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा वर्णन :

ए-बी — लाइन, ग्राम कदोली और चर्ली की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और वर्धा नदी की केन्द्रीय लाइन में बिन्दु "बी" पर मिलती है ।

बी-सी — लाइन, वर्धा नदी की केन्द्रीय लाइन, जो ग्राम कदोली और नन्दगांव की सामान्य सीमा है, के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "सी" पर मिलती है ।

सी-सी1-डी-ई — लाइन, ग्राम नन्दगांव और बीसापुर की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ई" पर मिलती है ।

ई-एफ-जी — लाइन, ग्राम बीसापुर से होकर जाती है और बिन्दु "जी" पर मिलती है ।

जी-एच-आई-जे-के-के 1-एल — लाइन, ग्राम बीसापुर, बल्लारपुर से होकर और आंशिक रूप से वर्धा नदी की पूर्वी सीमा के साथ-साथ होकर जाती है और वर्धा नदी की केन्द्रीय लाइन मे बिन्दु "एल" पर मिलती है ।

एल-एम-एन-ओ-पी — लाइन, ग्राम सस्ती और गौरी से होकर जाती है और बिन्दु "पी" पर मिलती है ।

पी-क्यू-क्यू 1-आर-एस — लाइन, ग्राम गौरी, मनोली और बाबापुर से होकर जाती है और ग्राम बाबापुर और पौनी की सामान्य सीमा पर बिन्दु "एस" पर मिलती है ।

एस-एस 1-ए — लाइन, ग्राम बाबापुर और पौनी की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और ग्राम पौनी, कदोली, बाबापुर और चर्ली की सामान्य सीमा पर आरम्भिक बिन्दु "ए" पर मिलती है ।

अनुसूची "ख"

ड्राइंग सं० सी-1 (ई)/III आर० जे० 0021007
तारीख 21-11-1977

(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शित की गई है)

बल्लारपुर विस्तार ब्लाक-2

क्रम सं०	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं०	तहसील	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पणियां
1.	बल्लारपुर	7	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर		आंशिक ग्राम
2.	बाह्मनी	40	,,	,,		,,
3.	घुघुली	40	,,	,,		,,
4.	देहली	40	,,	,,		,,
5.	चुनाला	—	राजुरा	,,		,,
6.	बामनवाड़ा	—	,,	,,		,,
7.	राजुरा	—	,,	,,		,,

कुल क्षेत्रफल : 2768.27 एकड़ (लगभग)
या 1120.27 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा वर्णन :

टी-यू — लाइन, ग्राम बल्लारपुर, बाह्मनी और देहली से होकर जाती है और बिन्दु "यू" पर मिलती है ।

यू-वी — लाइन, ग्राम देहली से होकर और काखदोनू नाले के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ जाती है तथा वर्धा नदी की दक्षिणी सीमा पर ग्राम चुनाला में बिन्दु "वी" पर मिलती है ।

वी-डब्ल्यू — लाइन, ग्राम चुनाला, बामनवाड़ा और राजुरा में वर्धा नदी की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है तथा बिन्दु "डब्ल्यू" पर मिलती है ।

डब्ल्यू-एक्स-वाई — लाइन, वर्धा नदी के आंशिकत: आर-पार और ग्राम घुघली तथा बल्लारपुर से होकर जाती है और बिन्दु "वाई" पर मिलती है ।

वाई-जेड-टी — लाइन, ग्राम बल्लारपुर से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु "टी" पर मिलती है ।

[सं० 19(71)/77-मी० एल० 6]

New Delhi, the 20th April, 1978

S.O. 1310. –Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification can be inspected at the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Bisesar House, Temple Road, Nagpur-1 or at the Office of the Collector, Chandrapur (Maharashtra State) or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Bisesar House, Temple Road, Nagpur-1 within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE "'A,

Wardha Valley Coalfields

District Chandrapur (Maharashtra)

Drawing No. C-1(E)/IIIR-J. 0221077 Dated 21-11-1977

Ballarpur Extension Block 1 (Showing land notified for prospecting)

Sl. No.	Name of village	Patwari Circle No.	Tahsil	District	Area	Remarks
1.	Visapur	7	Chandrapur	Chandrapur		Part village
2.	Ballarpur	7	,,	,,		,,
3.	Kadoli	81	Rajura	,,		Full Village
4.	Kolgaon	79	,,	,,		,,
5.	Manoli	80	,,	,,		,,
6.	Babapur	—	,,	,,		Part village
7.	Sasti	—	,,	,,		,,
8.	Gowri	—	,,	,,		,,

Total Area : 7098.27 acres (approximately)
2872 53 hectares (approximately)

Boundary Description :

A–B	Line passes along the common boundary of villages Kadoli and Charli and meets in in the central line of River Wardha at point "B".
B-C	Line passes along the Central line of River Wardha which is the common boundary of villages Kadoli and Nandgaon and meets at point "C".
C-C1-D-E	Line passes along the common boundary of villages Nandgaon and Visapur and meets at point "E".
E-F-G	Line passes through village Visapur and meets at point "G".
G-H-I-J-K-K1 L	Line passes through village Visapur, Ballarpur and partly along the eastern boundary of River Wardha and meets in the central line of river Wardha at point "L".
L-M-N-O-P	Line passes through villages Sasti and Gowri and meets at point "P".
P-Q-Q1-R-S	Line passes through village Gowri, Manoli and Babapur and meets on the common boundary of villages Babapur and Paoni at point "S".
S-S1-A	Line passes along the common boundary of villages Babapur and Paoni and meets on the common boundary of village Paoni; Kadoli, Babapur and Charli at the starting point "A".

SCHEDULE "B"

Drawing No. C-1(E)/IIIR-J. 0221077
Dated 21-11-1977

Ballarpur Extension Block 2 (Showing land notified for prospecting)

Sl. No.	Name of village	Patwari Circle No.	Tahsil	District	Area	Remarks
1.	Ballarpur	7	Chandra-pur	Chandra-pur	Part	village
2.	Bahmani	40	"	"	"	
3.	Dudhuli	40	"	"	"	
4.	Daheli	40	"	"	"	
5.	Chunala	—	Rajura	"	"	
6.	Bamanwara	—	"	"	"	
7.	Rajura	—	"	"	"	

Total Area : 2768.27 acres (approximately)
or 1120.27 hectares (approximately)

Boundary Description :

T–U	Line passes through village Ballarpur, Bahmani and Daheli and meets at point "U".
U–V	Line passes through village Daheli and along the Western side of Kakhdonu nullah and meets in village Chunala on the Southern boundary of River Wardha at point "V".
V–W	Line passes along the Southern boundary of River Wardha in village Chunala, Bamanwara and Rajura and meets at point "W".
W–X–Y	Line passes partly across River Wardha and through village Dudhuli and Ballarpur and meets at point "Y".
Y–Z–T	Line passes through village Ballarpur and meets at the starting point "T"

[No. 19(76)/77-CL]

नई दिल्ली, 24 अप्रैल 1978

का०आ० 1311.—कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 4314, तारीख 25 अक्तूबर, 1976 द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने, उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भूमि के अर्जन के आशय की सूचना दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ,

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में वर्णित 1253.00 एकड़ (लगभग) या 507.05 हेक्टेयर (लगभग) भूमि अर्जित की जानी चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार घोषित करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 1253.00 एकड़ (लगभग) या 507.05 हेक्टेयर (लगभग) भूमि अर्जित की जाती है ।

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांकों का निरीक्षण, उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में, या कोयला नियंत्रक, 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में, या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (रेवेन्यू) सेक्शन, दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची

ब्लाक 1 और 4 विस्तारण

उप-ब्लाक "क"

रामगढ़ कोयला क्षेत्र

रेखांक सं० रेव०/65/77

तारीख 15-12-1977

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दिखाई गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पणी
1	कोयहारा	रामगढ़	150	हजारी-बाग	आंशिक	
2.	लेढ़ी टोंगरी	यथोक्त	151	यथोक्त	यथोक्त	
3.	जनियामारा	यथोक्त	152	यथोक्त	यथोक्त	
4	गौराबेरा	यथोक्त	153	यथोक्त	यथोक्त	
5.	भूचुगडीह	यथोक्त	154	यथोक्त	यथोक्त	
6.	सेंवाई	यथोक्त	155	यथोक्त	यथोक्त	

कुल क्षेत्रफल : 600.00 एकड़ (लगभग)
अथवा 242.80 हेक्टेयर (लगभग)

गांव कोयहारा में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या :

[1(पी), 8(पी), 14(पी), 15(पी), 16, 17, 18(पी), 91-(पी), 92(पी), 284(पी), 285 और 318(पी)।

गांव लेढ़ाटोंगरी मे अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या :

2(पी), 4 से 8, 9(पी), 12(पी), 13, 32(पी), 33(पी), और 35(पी)।

गांव जनियामारा मे अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या

1(पी), 2 और 10(पी)।

गांव गौराबेरा में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या :

1(पी), 2, 3, 4, 5, 6(पी), 7 से 14, 15(पी), 16 से 22.

गांव भुचुंगडीह में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या

[1(पी), 65(पी), 75(पी), 76, 77, 78 और 79(पी)।

गांव सेवाई में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या

236(पी), 237(पी), 238(पी), 239(पी), 251(पी), 252 से 261,262(पी), 263(पी), 290(पी), 291(पी), 292(पी), 293(पी), और 294(पी)।

सीमा वर्णन

क—ख — रेखा गांव कोयहारा में प्लाट संख्या 1 और 15 से होकर जाती है।

ख—ग — रेखा गांव कोयहारा में प्लाट संख्या 14 से 8 और 1 से होकर जाती है।

ग—घ — रेखा दामोदर नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ-साथ (जो गांव कोयहारा और गोपों की सामान्य सीमा का भाग भी है) जाती है।

घ—ङ — रेखा गांव कोयहारा में प्लाट सं० 1, 18, 91, 92 से होकर, गांव गौराबेरा मे प्लाट संख्या 1 और 6 से होकर, गांव कोयहारा में प्लाट संख्या 92, 284, 92 और 318 से होकर, गांव सेवाई में प्लाट संख्या 237, 236, 238, 239 और 236 से होकर, फिर गांव गौराबेरा में प्लाट सं० 15 से होकर, फिर गांव सेवाई में प्लाट सं० 251, 263, 262, 291, 290, 291, 292, 293 और 294 से होकर और गांव भुचुंगडीह में प्लाट सं० 75 और 79 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन का०आ० सं० 3894 तारीख 22-1-62 द्वारा, अर्जित रामगढ़ ब्लाक-1 की अंशतः सामान्य सीमा भी है) जाती है।

ङ—च — रेखा भुचुंगडीह में प्लाट सं० 79, 75 और 65 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन का०आ० सं० 3894 तारीख 22-12-62 द्वारा अर्जित रामगढ़ ब्लाक-1 की अंशतः सामान्य सीमा भी है) जाती है।

च—छ — रेखा गांव भुचुंगडीह में प्लाट संख्या 65 और 1 से होकर, गांव जनियामारा में प्लाट सं० 10 और 1 से होकर, गांव गौराबेरा में प्लाट सं० 1 से होकर, और गांव लेढ़ीटोंगरा में प्लाट स० 9, 12, 32, 33 और 35 से होकर जाती है।

छ—ज — रेखा गांव लेढ़ाटोगरी में प्लाट संख्या, 35, 33 और 2 से होकर जाती है।

ज—झ — रेखा गांव लेढ़ाटोगरी और कोयहारा की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है।

झ—क — रेखा दामोदर नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ-साथ (जो गांव कोयहारा और गोपो की आंशिक सामान्य सीमा भी है) जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु "क" पर जा मिलती है।

उप-ब्लाक "ख"

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दिखाई गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	गांव	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पणी
1.	भुचुंगडीह	रामगढ़	154	हजारी बाग		आंशिक

कुल क्षेत्रफल : 28.00 एकड़ (लगभग)
अथवा 11.33 हैक्टेअर (लगभग)

गांव भुचुंगडीह में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या:—
49(पी), 62(पी), 65(पी), 79(पी) और 240(पी).

सीमा वर्णन :

ञ—ट — रेखा गांव भुचुंगडीह में प्लाट सं० 79 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन का०आ० सं 3894 तारीख 22-12-62 द्वारा अर्जित रामगढ ब्लाक—1 की आंशिक सामान्य सीमा भी है) जाती है।

ट-ठ-ड-ढ-ण — रेखाएं गांव भुचुंगडो में प्लाट सं० 79, 62 और 240 से होकर जाती है।

ण—त — रेखा भोरा नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ-साथ (जो गांव भुचुंगडीह और बांदा की सामान्य सीमा का भाग है) जाती है।

त-थ-द-ध-ञ — रेखाएं गांव भुचुंगडीह में प्लाट सं० 240, 49, 62 और 65 से होकर जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु "ञ" पर जाकर मिलती है।

सभी अधिकार

क्रम सं०	गांव	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पणी
1.	सेवाई	रामगढ़	155	हजारी-बाग		आंशिक
2.	हुदुगदाग	यथोक्त	156	यथोक्त		यथोक्त
3.	तेंदरदाग	यथोक्त	158	यथोक्त		यथोक्त

कुल क्षेत्रफल : 90.00 एकड़ (लगभग)
अथवा 36.42 हैक्टेअर (लगभग)

गांव सेवाई में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या:—

998(पी), 999(पी), 1000 से 1024, 1025(पी), 1026, 1027(पी), 1028(पी), 1029(पी), 1034(पी), 1134(पी), 1135, 1136, 1137(पी), 1138(पी)।

गांव हुटुगदाग में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या:—

1, 2, 3, 4(पी), 5, 6, 7, 8(पो), 9(पी), 11(पी), 12 से 21, 22(पी), 23(पी), 24(पी), 25(पी), 54(पी), 56, 57(पी), 64 से 72, 149(पी), 151(पी), 153(पी), 154(पी), 158(पो), 161(पी), 162(पी), 163(पो), 164(पो), 165, 166(पी), 167 से 170, 171(पी), 177(पी), 178 (पी), 179(पी), 180, 181, 182, 183, 184, 185(पी), 186(पी), 190(पो), 191(पो), 192(पी), 193 से 199 और 200(पी) ।

गांव तेवरदाग में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या:—

361(पी) और 362(पी) ।

सीमा वर्णन :

क/1—क/2 . रेखा गांव सेवाई में प्लाट संख्या 1025 से होकर प्लाट सं० 986 की आंशिक पूर्वी सीमा के साथ साथ प्लाट संख्या 1034 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन का०आ० 3894 तारीख 22-12-62 द्वारा अर्जित रामगढ़ ब्लाक—1 की आंशिक सामान्य सीमा भी है) जाती है ।

क/2—क/3 . रेखा गांव सेवाई में प्लाट सं० 1025, 998, 999, 1137 और 1138 से होकर और गांव सेवाई से प्लाट सं० 25, 24, 23, 22, 25, 192 और 191 से होकर (जो भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित ब्लाक की आंशिक सामान्य सीमा भी है) जाती है ।

क/3—क/4—क/5—क/6—क/7—क/8—रेखाएं प्लाट संख्या 191, 190, 185, 186 से होकर प्लाट संख्या 186, 187, 63 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ प्लाट सं० 55 की पूर्वी सीमा के साथ साथ प्लाट सं० 57 से होकर प्लाट सं० 54 से होकर, प्लाट सं० 83 की आंशिक उत्तरी सीमा के साथ साथ, प्लाट सं० 82, 81, 73, 160 की उत्तरी सीमा के साथ साथ, फिर प्लाट सं० 164 की आंशिक उत्तरी सीमा के साथ साथ, गांव हुटुगदाग में प्लाट सं० 164 163, 162, 161, 158, 154, 153, 151 से होकर गांव तेवरदाग में प्लाट सं० 362 और 361 से होकर और फिर गांव हुटुगदाग मे प्लाट सं० 149 से होकर जाती है ।

क/8—क/9 रेखा गांव हुटुगदाग में प्लाट सं० 149 से होकर, गांव तेवरदाग में प्लाट संख्या 361 और 362 से होकर, फिर गांव हुटुगदाग में प्लाट सं० 154, 166, 171, 179, 178, 179, 177 और 200 से होकर जाती है ।

क/9—क/1 रेखा गांव हुटुगदाग में प्लाट सं० 200, 11, 9, 8 और 4 से होकर गांव सेवाई में प्लाट सं० 1134, 1029, 1028 1027 और 1034 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन का० आ० 3894 तारीख 22-12-62 द्वारा अर्जित रामगढ़ ब्लाक—1 की आंशिक सामान्य सीमा भी है) जाती है और बिन्दु क—1 पर जा कर मिलती है ।

उप—ब्लाक "ब"

(जिसमें अर्जित की गई भूमि दिखाई गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पणी
1.	माएल	रामगढ़	148	हजारीबाग		आंशिक
2.	सेवाई	यथोक्त	155	यथोक्त		आंशिक
				कुल क्षेत्रफल :	535.00 एकड़ (लगभग)	
				अथवा	261.50 हेक्टेयर (लगभग)	

गांव माएल में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या :—

293(पी), 313(पी), 314(पी), 317(पी), 318 से 351, 352(पी), 433(पी), 475(पो), 477(पी), 481(पी), 482(पी), 484(पी), 485(पी), 486, 487(पी), 488 से 507, 508(पी), 509 से 537, 538(पी), 540(पी), 543(पी), 544(पी), 545(पी), 582(पी), 583, 584(पी), 617(पी), 618(पी), 619, 620(पी), 621(पी), 622 से 635, 636(पी), 637(पी), 638 से 647, 648(पी), 649(पी), 650(पी), 651 से 656, 657(पी), 658, 721(पी), 723(पी), (पी), 724(पी), 725(पी), 726(पी), 727(पी), 728(पी), 734(पी), 736(पी), 737(पी), 738 से 741, 742(पी), 743(पी), 744(पी), 745 से 750, 751(पी), 752(पी), 753(पी), 754, 755, 756(पी), 757, 758, 759, 760(पी), 823(पी), 824(पी), 825(पी), 826, 827, 828(पी), 840(पी), 841 से 862, 863(पी), 865(पी), 866, 867(पी), 868 (पी), 869, 870, 871(पी), 872(पी), 3294 (पी), 4215

गांव सेवाई में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या :

700(पी), 705(पी), 706(पी), 707 से 711, 712(पी), 713 (पी), 723(पी), 724 से 727 728(पी), 729(पी), 730 से 737, 738(पी), 741(पी), 742, 743(पी), 744 से 953, 954(पी), 955 (पी), 956 से 971, 972(पो), 973 से 985, 1034(पी), 1188 से 1207, 1208(पो), 1209 से 1246, 1247(पी), 1305(पी), 1306, 1307, 1308, 1310 से 1328, 1329(पी), 1330, 1386.

सीमा वर्णन :

क/10—क/11 रेखा गांव माएल में प्लाट संख्या 724, 723, 724, 725, 726, 727, 726, 728, 736, 736, 737, 737,742,743,744,760,737, 636, 823, 824, 825, 828, 840, 863, 865, 867, 868, 871, 872, 621, 487, 484, 485, 482, 481, 477, 475, 433, 352, 538, 540, 543, 352, 3294, से होकर तथा गांव सेवाई में प्लाट सं० 1329 से होकर जाती है ।

क/11—क/12 रेखा गाव सेवाई में प्लाट संख्या 1329 से होकर जाती है ।

क/12–क/13—	रेखाएं गांव सेवाई में प्लाट संख्या 1329 की
क/14–क/15—	आंशिक पूर्वी सीमा के साथ साथ प्लाट संख्या
क/16—क/17	1208 से होकर जाती है।
क/17—क/18	रेखा सड़क की आंशिक पश्चिमी सीमा के साथ साथ और गांव सेवाई में प्लाट संख्या 972, 955, 954 और 1034 के होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन का०आ० 3894, तारीख 22-12-62 द्वारा अर्जित रामगढ़ ब्लाक–1 की आंशिक सामान्य सीमा भी है) जाती है।
क/18–क/19	रेखा सेवाई गांव में प्लाट संख्या 1034, 723 728, 729, 738 से होकर प्लाट संख्या 737 की आंशिक उत्तरी सीमा की साथ साथ प्लाट संख्या 741, 743, 712, 705, 706, 700, 1247, 700 1247, 700, और 1305 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन का०आ० 3894 तारीख 22-12-62 द्वारा अर्जित रामगढ़ ब्लाक–1 की आंशिक सामान्य सीमा भी है) जाती है।
क/19–क/20	रेखा सेवाई और माएल गांवों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ साथ (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन का० आ० 2777, तारीख 4-8-64 द्वारा अर्जित रामगढ़ ब्लाक–4 की आंशिक सामान्य सीमा भी है) जाती है।
क/20–क/10	रेखा गांव माएल में प्लाट संख्या 293, 313, 314, 317, 544, 545, 544, 582, 584, 508, 584, 618, 617, 620, 621, 648, 649, 650, 657, 756, 753, 752, 751, 726, 721, 724, 723, और 724 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन का० आ० सं० 2777, तारीख 4-8-64 द्वारा अर्जित रामगढ़ ब्लाक–4 की आंशिक सामान्य सीमा भी है) जाती है।

[संख्या 19(11)/76–सी० एल०]

New Delhi, the 24th April 1978.

S.O. 1311.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 4314 dated the 25th October, 1976, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands in the locality specified in the schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the report aforesaid, and, after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 1253.00 acres (approximately) or 507.05 hectares (approximately), described in the schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 1253.00 acres (approximately) or 507.05 hectares (approximately), described in the said Schedule, are hereby acquired.

The plans of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE — Drg. No. Rev/65/77

Block I & IV Extn. — dt. 15-12-77

Sub-Block 'A' — (Showing lands acquired)

Ramgarh Coalfield

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana Number	District	Area	Remarks
1.	Koihara	Ramgarh	150	Hazaribagh	-do-	
2.	Lerhi Tongri	-do-	151	-do-	-do-	
3.	Janiamara	-do-	152	-do-	-do-	
4.	Gaurabera	-do-	153	-do-	-do-	
5.	Bhuchungdih	-do-	154	-do-	-do-	
6.	Sewai	-do-	155	-do-	-do-	
		Total areas : —600.00 acres (approx.) or 242.80 hectares (approx.)				

Plot numbers acquired in village Koihara :—

1(P), 8(P), 14(P), 15(P), 16, 17, 18(P), 91(P), 92(P), 284(P), 285 and 318(P).

Plot numbers acquired in village Lerhi Tongri :—

2(P), 4 to 8, 9(P), 12(P), 13, 32(P), 33(P), and 35(P).

Plot numbers acquired in village Janiamara :—

1(P), & 10(P).

Plot numbers acquired in village Gaurabera :—

1(P), 2, 3, 4, 5, 6(P), 7 to 14, 15(P), 16 to 22.

Plot numbers acquired in village Bhuchungdih :—

1(P), 65(P), 75(P), 76, 77, 78 and 79(P).

Plot numbers acquired in village Sewai :—

236(P), 237(P), 238(P), 239(P), 251(P), 252 to 261, 262(P), 263(P), 290(P), 291(P), 292(P), 293(P) and 294(P).

Boundary Description :—

A-B	line passes through plot numbers 1 and 15 in village Koihara.
B-C	line passes through plot numbers 14, 8, and 1 in village Koihara.
C-D	line passes along the part central line of Damodar Nadi (which is also part common boundary of villages Koihara and Gopo.
D-E	Line passes through plot numbers 1, 18, 91, 92 in village Koihara, through plot numbers 1 and 6 in village Gaurabera, again through plot numbers 92 284, 92 and 318 in village Koihara, through plot

numbers 237, 236, 238, 239 and 236 in village Sewai again through plot number 15 in village Gaurabera again through plot numbers 251, 263 262,291,290,292,293 and 294 in village Sewai and through plot numbers 75 and 79 in village Bhuchungdih (which is also the part common boundary of Ramgarh Block I acquired u/s 9 (1) of the Coal Act) vide S O. No. 3894 dt. 22 12.62.

E-F Line passes through plot numbers 79, 75 and 65 in Village Bhuchungdih (which is also part common boundary of Ramgarh Block 1 acquired u/s 9(1) of the Coal Act vide S.O. No. 3894 dt. 22.12.62).

F-G Line passes through plot number 65 and 1 Village Bhuchungdih, through plot numbers 10 and 1 village Janiamara, through plot number 1 in village Gaurabera through plot numbers 9, 12, 32, 33 and 35 in village Lerhitongri.

G-H Line passes through plot numbers 35, 33 and 2 in Village Lehitongri.

H-I Line passes along the part common boundary of villages Lerhitongri and Koihara.

I-A Line passes along the part central line of Damodar Nadi (which is also the part common boundary of Village Koihara snd Gopo) and meets at Starting Point 'A'

All rights Sub-Block 'B' (Showing lands acquired)

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1.	Bhuchungdih	Ramgarh	154	Hazaribagh		Part.

Total area :—28 00 acres (approx.)
or 11 33 hec. (approx.)

Plot numbers acquird in village Bhuchungdih :—

49(P), 62(P), 65(P), 79(P) and 240 (P).

Boundary Description :—

J-K Line passes through plot number 79 in village Bhuchungdih (which is also the part common boundary of Ramgarh Block-I acquired u/s 9(1) of the Coal Act, vide S.O. No. 3894 dt. 22.12 62).

K-L-M-N-O Line passes through plot numbers 79, 62 and 240 in village Bhuchungdih.

O-P Line passes along the part central line of Bhera Nadi (which is also the part common boundary of Villeges Bhuchungdih and Banda.)

P-Q-R-S-J Lines pass through plot numbers 240, 49, 62 and 65 in village Bhuchungdih and meet at Starting point 'J'.

All Rights Sub Block ,C' (Showing lands acquired)

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1.	Sewai	Ramgarh	155	Hazaribagh		part
2.	Hutugdag	—Do—	156	—Do—		part
3.	Tewardag	—Do—	158	—do-		part

Total area :— 90.00 acres (approx.).
or 36.42 hectares (approx.).

Plot numbers acquired in village Sewai :—

998(P), 999(P), 1000 to 1024, 1025(P), 1026, 1027(P), 1028(P), 1029(P), 1034(P), 1134(P), 1135, 1136, 1137(P), 1138(P).

Plot numbers acquired in village Hutugdag :—

1, 2, 3, 4(P), 5, 6, 7, 8(P), 9(P), 11(P), 12 to 21, 22(P), 23(P), 24(P), 25(P), 54(P), 56, 57(P), 64 to 72, 149(P), 151(P), 153(P), 154(P), 158(P), 161, 162(P), 163(P), 164(P), 165, 166(P), 167 to 170, 171(P), 177(P), 178(P), 179(P), 180, 181, 182, 183, 184, 185(P), 186(P), 190(P), 191(P), 192(P), 193 to 199 and 200(P).

Plot numbers acquired in village Tewardag :—

361(P) 8 & 362(P).

Boundary Description :—

A/1-A/2 line passes through plot numbers 1034 along part eastern boundary of plot no. 986 through plot no. 1025 in village Sewai (which is also the part common boundary of Ramgarh Block I acquired u/s 9(1) of the Coal Act, vide S.O. No. 3894 dt. 22-12-62).

A-2-A/3 line passes through plot numbers 1025, 998, 999, 1137 and 1138 in village Sewai through plot nos. 26, 24, 23, 22, 25, 192 and 191 in village Sewai (which is also the part common boundary of the block acquird under L.A. Act).

A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8 lines pass through plot numbers 191, 190, 185, 186, along southern boundary of plot numbers 186, 187, 63 through plot number 53 along eastern boundary of plot numbers 55, through plot number 54, along part northern boundary of plot number 83, along northern boundary of Plot numbers 82, 81, 73, 160, then along part northern boundary of plot number 164, through plot numbers 164, 163, 162, 161, 168, 154, 153, 151 in village Hutugdag,

through plot numbers 362 and 361 in village Tewardag, again through plot number 149 in village Hutugdag.

A/8-A/9 line passes through plot numbers 149 in village Hutugdag through plot numbers 361 and 362 in village Tewardag, again through plot numbers 154, 166, 171, 179, 178, 179, 177 and 200 in village Hutugdag.

A/9-A/1 line passes through plot numbers 200, 11, 9, 8, and 4 in village Hutugdag, through plot numbers 1134, 1029, 1028, 1027 and 1034 in village Sewai (which is also the plart common boundary of Ramgarh Block I acquired u/s 9(1) of the Coal Act, vide S.O. No. 3894 dt. 22-12-62) and meets at starting point A/1.

All Rights Sub-Block 'D' (Showing lands acquired)

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Mael	Ramgarh	148	Hazaribagh		Part
2.	Sewai	-do-	155	-do-		-ao-

Total area :—535.00 acres (approx.)
or 216.50 hectares (approx.)

Plot numbers acquired in village Mael :—

293(P), 313(P), 314(P), 317(P), 318 to 351, 352(P), 433(P), 475(P), 477(P), 481(P), 482(P), 484(P), 485(P), 486, 487(P), 488 to 507, 508(P), 509 to 537, 538(P), 540(P), 543(P), 544(P), 545(P), 582(P), 583, 584(P), 617(P), 618(P), 619, 620(P), 621(P), 622 to 635, 636(P), 637(P), 638 to 647, 648(P), 649(P), 650(P), 651 to 656, 657(P), 658, 721(P), 723(P), 724(P), 725(P), 726(P),

727(P), 728(P), 734(P), 736(P), 737(P), 738 to 741, 742(P), 743(P), 744(P), 745 to 750, 751(P), 752(P), 753(P), 754, 755, 756(P), 757, 758, 759, 760(P), 823(P), 824(P), 825(P), 826, 827, 828(P), 840(P), 841 to 862, 863(P), 865(P), 866, 867(P), 868(P), 869, 870, 871(P), 872(P), 3294(P), 4215.

Plot numbers acquired in village Sewai :—

700 (P), 705(P), 706(P), 707 to 711, 712(P), 713(P), 723(P), 724 to 727, 728(P), 729(P), 730 to 737, 738(P), 741(P), 742, 743(P), 744 to 953, 954(P), 955(P), 956 to 971, 972(P), 973 to 985, 1034(P), 1188 to 1207, 1208(P), 1209 to 1246, 1247(P), 1305(P), 1306, 1307, 1308, 1310 to 1328, 1329(P), 1330, 1386.

Boundary description :—

A/10-A/11	line passes through plot numbers 724, 723, 724, 725, 726, 727, 726, 728, 736, 734, 737, 742, 743, 744, 760, 637, 636, 823, 824, 825, 828, 840, 863, 865, 867, 868, 871, 872, 621, 487, 484, 485, 482, 481, 477, 475, 433, 352, 538, 540, 543, 352, 3294 in village Mael and through plot number 1329 in village Sewai.
A-11/A-12	lines passes through plot number 1327, in village Sewai.
A/12-A/13-	lines pass through plot number 1329, along part
A/14-A/15-	eastern boundary of plot number 1329,
A/16-A/17	through plot number 1208 in village Sewai.
A/17-A/18	line passes along the part western boundary of road and through plot numbers 972, 955, 754 and 1034 in village Sewai (which is also the part common boundary of block acquired under L.A. and part common boundary of Ramgarh Block I acquired u/s 9(1) of the Coal Act vide S.O. No. 3894 dt. 22-12-62).
A/18-A/19	line passes through plot numbers 1034, 723, 728, 729, 738 along part northern boundary of plot no. 737, through plot nos. 741, 743, 912, 713, 705, 706, 700, 1247, 700, 1247, 700 and 1305 in village Sewai (which is also the part common boundary of Ramgarh Block 1 acquired u/s 9(1) of the Coal Act vide S.O. No. 3894 dt. 22-12-62).
A/19-A/20	line passes along the part common boundary of villages Sewai and Mael (which is also the part common boundary of Ramgarh Block IV acquired u/s 9(1) of the Coal Act, vide S.O. No. 2777 dt. 4-8-64).
A/20-A/10	line passes through plot numbers 293, 313, 314, 317, 644, 545, 644, 582, 584, 508, 584, 618, 617, 620, 621, 648, 649, 650, 657, 756, 753, 752, 751, 726, 721, 724, 723, and 724 in village Mael (which is also the part common boundary of Ramgarh Block IV acquired u/s 9(1) of the Coal Act, vide S.O. No. 2777 dt. 4-8-64).

[No. 19(11)/76-CL]

का० आ० 1312.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (i) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2778, तारीख 15 जुलाई, 1976 द्वारा, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र मे 905.00 एकड़ (लगभग) या 366.24 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमियों में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमियों में से 568.00 एकड़ (लगभग) या 227.43 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि में कोयला अभिप्राप्त है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 568.00 एकड़ (लगभग) या 227.43 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमियो को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना देती है;

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त कार्यालय, गिरिडिह (बिहार) या कोयला नियंत्रक कार्यालय, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता, या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कार्यालय, (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) मे किया जा सकता है।

3. कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

अनुसूची

गुंजारडिह ब्लाक

पूर्वीय बोकारो कोयला क्षेत्र

ड्रा० सं० राजस्व 44 77

22 अगस्त, 1977

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि भी वर्णित की गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पण
1.	मकोली	नयाडिह (बरमो)	69	गिरिडिह		भाग
2.	गुंजार डिह	,,	72	,,		,,
3.	छपरी	,,	73	,,		,,
		कुल क्षेत्र	568.00 एकड़ (लगभग)			
		या	227.43 हेक्टेयर (लगभग)			

मकोली ग्राम में अर्जित की जाने वाली प्लाट संख्याएं:—

1(पा), 78, 79(पी), 86 से 93, 94(पी), 98 से 106, 107(पी), 119(पी), 120.

गुंजारडिह ग्राम मे अर्जित की जाने वाली प्लाट संख्या :—

212(पी)

ग्राम छपरी में अर्जित की जाने वाली प्लाट संख्याएं:—

1439(पी), 1440(पी).

सीमा वर्णन :

ट—ढा—ड—ढण या—ख	लाइन ग्राम छपरी की प्लाट सं० 1439 से होकर जाती है ।
ख—ग	लाइन ग्राम घोरही और मकोली की भागतः सामान्य सीमा के साथ साथ जाती है ।

घ–ङ	लाइनें ग्राम मकोली की प्लाट संख्याएं 1, 79, फिर 1, 94, फिर 1 से (जो न्यू सिलेक्टेड धोरही कोलियरी की भागतः सामान्य सीमा है) होकर जाती है ।
ङ–च–छ/1	लाइन मकोली ग्राम की प्लाट संख्याएं 1, 119, 107, 119 से होकर जाती है ।
छ/1—ज	लाइन ग्राम मकोली की प्लाट सं० 119 से (जो सिलेक्टेड धोरही कोलियरी की भागतः सामान्य सीमा है) होकर जाती है ।
ज–झ–ञ	लाइनें ग्राम मकोली और तारमी, गुंजारडिह और तारमी की भागतः सामान्य सीमा के साथ साथ जाती हैं (जो तारमी कोलियरी की भागतः सामान्य सीमा है) ।
ट–ठ–ड–ढ–ण	लाइनें गुजारडिह ग्राम की प्लाट सं० 212, ग्राम मकोली की प्लाट सं० 1 और ग्राम छपरी की प्लाट सं० 1440 से होकर जाती है।
ण–त–थ	लाइनें छपरी ग्राम की प्लाट संख्याएं 766, 767, 771, की दक्षिणी सीमा, फिर संख्याएं, 771, 770 और 769 की पश्चिमी सीमा और फिर प्लाट संख्याएं 772, 797, 798, 799 और 800 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ होकर जाती हैं ।

[सं० 19/71/77-सी०एल०]

एस० आर० ए० रिजवी, निदेशक

S.O. 1312.—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 2778 dated the 15th July, 1976, under sub-section (i) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Governments gave notice of its intention to prospect for coal in 905.00 acres (approx.) or 366.24 hectares (approx.) of the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And Whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in 562.00 acres (approx.) or 227.43 hectares (approx.) of lands out of the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 562.00 acres (approx.) or 227.43 hectares (approx.) described in the Schedule appended hereto;

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section) Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

3. The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE

Gunjardih Block
East Bokaro Caolifield

Drg. No. Rev/44/77
dated 22-8-77

(Showing lands to be acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana Number	District	Area	Remarks
1.	Makoli	Nawadih (Bermo)	69	Giridih		Part.
2.	Gunjardih	,,	72	,,		,,
3.	Chapri	,,	73	,,		,,
	Total area : 562.00 acres (approximately or 227.43 hectares (approx.)					

Plot nos. to be acquired in village Makoli :—1(P), 78, 79(P), 86 to 93, 94(P), 98 to 106, 107(P), 119(P), 120.
Plot no. to be acquired in village Gunjardih :—212(P).
Plot nos. to be acquired in village Chapri : —1439(P), 1440(P)
Boundary description :

A-B—line passes through plot no. 1439 in village Chapri.

B-C—line passes along the part common boundary of villages Dhorli and Makoli.

C-D-E—lines pass through plot nos. 1, 79, again 1, 94, again 1, (which forms part common boundary with New Selected Dhorhi Colliery) in village Makoli.

E-F-G-G/1—lines pass through plot nos. 1, 119, 107, 119 in village Makoli.

G/1-H—line passes through plot no. 119 in village Makoli (which forms part common boundary with Selected Dhorhi Colliery).

H-I-J—lines pass along the part common boundary of villages Makoli and Tarmi, Gunjardih and Tarmi (which forms part common boundary with Tarmi Colliery).

J-K-L-M-N-O—lines pass through plot no. 212 in village Gunjardih through plot no. 1 in village Makoli and through plot no. 1440 in village Chapri.

O-P-Q—lines pass along Southern boundary of plot nos. 766 767, 771 then along western boundary of plot nos. 771, 770 and 769 again passes along southern boundary of plot nos. 772, 797, 798, 799 and 800 in village Chapri.

Q-A—line passes through plot no. 1439 in village Chapri and meets at starting point 'A'.

[No. 19(71)/77-CL]

S.R. A. RIZVI, Director

का० आ० 1313.—कोकर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की धारा 20 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री राम चीज़ राम को 15 मार्च, 1978 के पूर्वाह्न से सहायक भुगतान आयुक्त के पद पर नियुक्त करती है ।

[सं० 11024/5/78-सी० ए०]

जी० वी० जी० रामन, उप सचिव

S.O. 1313.—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (2) of Section 20 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36) of 1972, the Central Government hereby appoints Shri Ram Cheez Ram, as Assistant Commissioner of Payments with effect from the fore-noon of the 15th March, 1978.

[No. 11024/5/78-CA]

G. V. G. RAMAN, Dy. Secy.

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1978

का० आ० 1314.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 2562, तारीख 28-7-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संपत्तियों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० ग्रेम डी जे मे जी जी ग्रेस—1

राज्य—गुजरात जिला और तालुका—मेहसाणा

गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	एरीआई	सेंटीयर
कुकस . . .	118	0	05	52
	117	0	10	68
	116	0	16	20
सोभासण . . .	36	0	01	40
हेचुआ . . .	181	0	12	72
	180	0	07	20
	185	0	04	56
	179/1	0	12	72
	176	0	03	84
	179/2	0	04	56
	172	0	06	18
	173	0	06	96
	174	0	07	56
	170	0	08	40
	169	0	08	04
	221	0	08	52
	222	0	07	20

[सं० 12016/1/77-उत्पाद]

के० पी० जेठानी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILISERS

(Deptt. of Petroleum)

New Delhi, the 20th April, 1978

S.O. 1314.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 2562 dated 28-7-77 under sub-section (1) of section 3 of the petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of right of user in land) Act,1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Acquistion of Right of user for well no SDJ to GGS-1

State	Gujarat	District of Taluka Mehasana.			
Village		Survey No	Hect	Are	Centiare
Kukas	. . .	118	0	05	52
		117	0	10	68
		116	0	16	20
Sobhasan	. . .	36	0	01	40
Hebuva	. . .	181	0	12	72
		180	0	07	20
		185	0	04	56
		179/1	0	12	72
		176	0	03	84
		179/2	0	04	56
		172	0	06	48
		173	0	06	96
		174	0	07	56
		170	0	08	40
		169	0	08	04
		221	0	08	52
		222	0	07	20

[No. 12016/1/77- Prod.]

K. P. JETHANI, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन निदेशालय)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1978

का० आ० 1315—अन्तर्देशीय वाष्प-जलयान (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 35) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मई, 1978 की पहली तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस दिन से उक्त अधिनियम की धारा 26 को छोड़ शेष सभी उपबंध लागू होंगे ।

[स० 8 आई० डब्ल्यू० टी (3)/70-पी० एण्ड डब्ल्यू०]

बी० बी० महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Inland Water Transport Directorate)

New Delhi, the 18th April, 1978

S.O. 1315.—In exercise of thee powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Inland Steam Vessels (Amendment) Act, 1977 (35 of 1977), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 1978 as the date on which all the provisions, except section 26, of the said Act shall come into force.

[No. 8-IWT(3)/70-P&W]

B. B. MAHAJAN, Jt. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1978

का० आ० 1316—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 (1) और चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 8 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से परामर्श करने के बाद, निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल से अगले आदेश तक, उक्त बोर्ड के कलकत्ता सलाहकार पैनल का सदस्य फिर से नियुक्त किया है :—

1. डा० अजीत कुमार घोष
2. श्री जी० पी० बरुआ

[फाइल संख्या 11/8/77-एफ० सी०]

सुरेन्द्र कुमार शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 13th April, 1978

S.O. 1316.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and Sub-rule (3) of Rule 8 read with Sub-rule (1) of Rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby appoints the following persons, after consultation with the Central Board of Film Censors, as Members of the Advisory Panel of the said Board at Calcutta with immediate effect, until further orders :—

1. Dr. Ajit Kumar Ghosh
2. Shri G. P. Barua.

[F. No. 11/8/77-FC]

S. K. SHARMA, Dy. Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1978

का० आ० 1317—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उप-धारा 1(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, पुनर्वास विभाग में उप मुख्य बंदोबस्त आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे श्री एस० पी० सूद को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बंदोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए बंदोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या 1(7)/विशेष सेल/78-एस० एस० (2)]

दीना नाथ अमीजा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 18th April, 1978

S.O. 1317.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (No. 44 of 1954) the Central Government hereby appoints Shri S. P. Sud, Deputy Chief Settlement Commissioner in the Department of Rehabilitation as Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such Settlement Commissioner by or under the said act.

[No. 1(7)/Spl. Cell/78-SS. II]

D. N. ASIJA, Jt. Director

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1978

का० आ० 1318—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 19 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 269, तारीख 11 जनवरी, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

"ऐसे अधिकारियों की बाबत' शब्दों से आरम्भ होने वाले तथा "भी प्रयोक्तव्य होगी" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ऐसे अधिकारियों की बाबत, जिनका अधिकतम मासिक वेतन बारह सौ रुपए से अनधिक और पांच सौ रुपये से अन्यून हो, प्रयोग की जाने वाली शक्तियां—

(क) प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों के कार्यालयों के उच्च श्रेणी लिपिकों और कनिष्ठ आशुलिपिकों की बाबत प्रयोग करने के सिवाय, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा, और

(ख) प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों के कार्यालयों के उच्च श्रेणी लिपिकों और कनिष्ठ आशुलिपिकों की बाबत, उन आयुक्तों के द्वारा,

भी प्रयोक्तव्य होगी।

[सं० ए-36019(2)/77 पी० एफ०-I]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 18th April, 1978

S.O. 1318.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 269 dated the 11th January, 1978, namely :—

For the portion beginning with the words 'also be exercisable' and ending with the words 'five hundred rupees', the following shall be substituted, namely :—

"In respect of officers whose maximum monthly salary is not more than twelve hundred rupees and not less than five hundred rupees, be also exercisable by—

(a) the Central Provident Fund Commissioner except in respect of Upper Division Clerks and Junior Stenographers in the offices of the Regional Provident Fund Commissioner ; and

(b) the Regional Provident Fund Commissioners in respect of Upper Division Clerks and Junior Stenographers in their respective offices,"

[No. A-36019(2)/77-PF. I]

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1978

का० आ० 1319—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2979, तारीख 26 जुलाई, 1976 और का० आ० 551, तारीख 25 जनवरी, 1977 के अनुक्रम में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारखानों को उपरोक्त अनुसूची की तत्स्थानी प्रविष्टि के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देती है।

2 पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(i) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख का, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं, या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

अनुसूची

क्रम सं०	कारखाने का नाम	अनुदत्त छूट की अवधि
1	2	3
1.	नेशनल कैमिकल लेबोरेट्री, पूना	14-8-1977 से 30-6-1978 तक
2	नेशनल फिजिकल लेबोरेट्री, नई दिल्ली	23-10-1977 से 30-6-198 तक
3.	सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	23-10-1977 से 30-6-1978 तक

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट के लिए प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने में समय लगा। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को आरंभ में छूट दी गई थी वे अभी भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट का पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस०-38017/2/76-एच० आई०]

एस० एस० सहस्रानामन, उप सचिव

New Delhi, the 20th April, 1978

S.O. 1319.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2979 dated the 26th July 1976, and S.O. 551 dated the 25th January, 1977, the Central Government after consultation with the Employees State Insurance Corporation, hereby exempts the factories specified in the Schedule annexed hereto belonging to the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi from the operation of the said Act for the periods specified in the corresponding entries in column 3 of the aforesaid Schedule.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 ;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person when the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Factory	Period for which exemption granted
1	2	3
1.	National Chemical Laboratory, Poona.	14-8-1977 to 30-6-1978
2.	National Physical Laboratory, New Delhi.	23-10-1977 to 30-6-1978
3.	Central Road Research Institute, New Delhi.	23-10-1977 to 30-6-1978

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38017/2/76-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1978

का० आ० 1320—सीमेंट विनिर्माता संस्था, एक्सप्रेस भवन, चर्चगेट, मुम्बई से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय सीमेंट कर्मकार फैडरेशन, अम्मासान्द्रा-572211, टुमकुर जिला (दक्षिण रेलवे) कर्नाटक करते है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उबन्धों के अनुसरण में लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को इसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा माध्यस्थम के लिये निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध करा दी है ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त करार को प्रकाशित करती है ।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन करार)

के मध्य

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : सीमेंट विनिर्माता संस्था, एक्सप्रेस, भवन, चर्चगेट, स्टेशन के सामने, मुम्बई-400020 ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करनेवाले: अखिल भारतीय सीमेंट कर्मकार फेडरेशन अम्मासान्द्र-572211, टुमकुर जिला (दक्षिणी रेलवे) कर्नाटक ।

अखिल भारतीय सीमेंट कर्मकार फैडरेशन से सम्बद्ध कई संघों ने कई कम्पनियों की मांगों का समरूप घोषणापत्र दिया है जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और उपाबन्ध 'क' के रूप में चिह्नांकित है) और उसकी प्रति सीमेंट विनिर्माता संस्था को दी है ।

और अखिल भारतीय सीमेंट कर्मकार फैडरेशन ने सीमेंट विनिर्माता संस्था से अपने पत्र सं० 20/77-78, तारीख, 3 जनवरी, 1978 (जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और उपाबंध 'ख' के रूप में चिह्नांकित है), द्वारा निवेदन किया है कि वे अपने सहबद्ध संगठनों के मांग पत्रों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-क के अधीन, सर्वश्री जी०रामानुजम और आर०पी० नेवतिया के माध्यस्थम बोर्ड को निर्दिष्ट करने के लिये सहमत हों,

और माध्यस्थम करार तारीख 14-10-1977 द्वारा, सीमेंट विनिर्माता संस्था और भारतीय राष्ट्रीय सीमेंट और सहबद्ध कर्मकार फैडरेशन ने, भारतीय राष्ट्रीय सीमेंट और सहबद्ध कर्मकार फैडरेशन द्वारा, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-क के अधीन उनकी हड़ताल की सूचना में उठाये गये विवादों को सर्वश्री जी० रामानुजम और आर०पी० नेवतिया के माध्यस्थम को पहले ही निर्दिष्ट कर दिया है।

और अखिल भारतीय सीमेंट कर्मकार फैडरेशन के सहबद्ध संगठनों द्वारा अपने मांग-पत्र में जो यहां उपाबद्ध है (उपाबंध 'क') उठाई गई मांगों की विषयवस्तु, सिवाय पांच मांगों अर्थात मांग सं० 10 (प्रोन्नति नीति और प्रक्रिया) ; मांग संख्या 11 (भर्ती), मांग संख्या 14 (आवासन), संख्या 20 (कार्यकारी भत्ता) और मांग संख्या 21 (प्रदूषण का निवारण) पहले से ही उक्त मध्यस्थों के समक्ष, लम्बित है,

और ऊपर नामित पक्षकार औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-क के अधीन उक्त मध्यस्थों के माध्यस्थम को, उक्त पांच मांगों निर्दिष्ट करने का करार करते हैं,

अत, अब, उपर्युक्त के अनुसरण में, ये पक्षकार उक्त पांच विवादों को निम्नलिखित के माध्यस्थम को निर्दिष्ट करने का करार करते हैं

(1) श्री जी० रामानुजम,
2/44 रायापेट्टा हाई रोड,
मद्रास-14

(2) श्री आर० पी० नेवतिया,
बजाज भवन, नरीमन प्वाईंट,
मुम्बई-400020

(1) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय	क्या पांच मांगें अर्थात् मांग सं० 10 (प्रोन्नति नीति और प्रक्रिया), मांग सं० 11 (भर्ती), मांग सं० 14 (आवासन), मांग सं० 20 (कार्यकारी भत्ता) और मांग सं० 21(प्रदूषण का निवारण) जो उपाबन्ध 'क' के रूप में इससे उपाबद्ध मांग पत्र में समाविष्ट है न्यायोचित हैं ? यदि हां तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?
(2) विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।	(क) सीमेंट विनिर्माता संस्था, एक्सप्रेस भवन, चर्चगेट स्टेशन के सामने, मुम्बई 400020 (ख) अखिल भारतीय सीमेंट कर्मकार फैडरेशन, अम्मासान्द्रा 572211 टुमकुर जिला (दक्षिणी रेलवे) कर्नाटक।
(3) यदि कर्मकार स्वयं विवाद में अन्तर्वलित हो तो उसका नाम या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम।	अखिल भारतीय सीमेंट कर्मकार फैडरेशन।
(4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या।	90,000 (लगभग)
(5) विवाद से प्रभावित या सम्भाव्यत प्रभावित होने वाले कर्मकारों की अनुमानित संख्या।	90,000 (लगभग)

हम यह भी करार करते हैं कि मध्यस्थों का सर्वसम्मत विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा। यदि मध्यस्थों की राय विभाजित हो तो वे मध्यस्थों को परस्पर स्वीकार्य एक अधिनिर्णायक नियुक्त करेंगे।

मध्यस्थ अपना पंचाट 30 सितम्बर, 1978 को या उससे पूर्व देगा किन्तु यह अवधि पक्षकारों की सहमति से बढ़ायी जा सकती है ।

माध्यस्थम का खर्च नियोजकों द्वारा उठाया जायेगा । यदि खर्च के प्रश्न पर उसकी अनुज्ञेयता और युक्तिसंगतता के विषय में कोई विवाद हो तो मध्यस्थ इस विवाद का विनिश्चय करेंगे।

मुम्बई, तारीख 22 फरवरी, 1978

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सीमेंट विनिर्माता संस्था के लिये और उसके निमित्त.	कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय सीमेंट कर्मकार फैडरेशन :
हस्ताक्षर (श्री पी०बी० गुनोशास्त्री)	हस्ताक्षर श्री एच० एन० नरेन्द्र प्रसाद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी	महासचिव (अ०भा०सी०क०फै०)
साक्षी :	साक्षी :
1. ह० (बी०जे० तम्हाने)	2. ह० (अभय सिंह)

हम सहमत हैं :

1. ह० (जी०आर० रामानुजम)
2. ह० (आर०पी० नेवतिया)

मध्यस्थ।

सेवा में

सचिव,
भारत सरकार
श्रम मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि प्रेषित (1) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय, नई दिल्ली)

(2) क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय, बैकफील्ड हाउस, स्प्राट रोड, बैलर्ड, इस्टेट, बम्बई-400038

(3) सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय, बैकफील्ड हाउस, स्प्राट रोड, बैलर्ड इस्टेट, बम्बई-400038 ।

उपाबन्ध—'क'

मांग पत्र

1. माग पत्र पर समझौता होने तक सभी कर्मचारियों को 1-3-1977 से प्रति माह 100 रु० की दर से अन्तरिम राहत दी जानी चाहिये।

2. न्यूनतम परिलब्धियां :

(क) वर्क्स/प्रदान/कार्यालय में एक अकुशल कर्मचारी के लिये न्यूनतम परिलब्धियां आधारित 400 रु० और महगाई भत्ता 220 रु० अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 305 आधार 1960-100 के अनुसार होंगी।
(305 अक्तूबर, नवम्बर, और दिसम्बर, 1976 की औसत है)

(ख) एक अकुशल कर्मकार के लिये यह न्यूनतम परिलब्धि 1-3-77 से होगी।

3. प्रचालकों के लिये वेतनमान.
श्रेणिया :

(ङ) 400.00+(रु० 7.80×7 वर्ष)=रु० 154 60=(रु० 10 40×7 वर्ष)=रु० 527 40

(ख) रु० 125.00+(रु० 10.10×7 वर्ष)=रु० 497.80+(रु० 15.60×7 वर्ष) =607.00 रु०

(ग) रु० 450.00+(रु० 15.60+7 वर्ष) =रु० 559.20+(रु० 20.80×7 वर्ष)=रु० 704.80

(घ) रु० 475..00+(रु० 20.80×7 वर्ष)=रु० 620.60+(रु० 31.20×7 वर्ष)=839.00 रु०

(क) रु० 500.00+(रु० 31.20×7 वर्ष)=रु० 718.40+(रु० 39.00×7 वर्ष)=रु० 991.40

4. टैलीक्लर्क (टी०सी०), लिपिकीय, निम्नतर तकनीकी और पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द के लिये वेतनमान·

टी०सी० रु० 430.00—(रु० 14.00×8 वर्ष)=रु० 542.00+(रु० 18.00×8 वर्ष)=रु० 686.00 (दसवीं से कम शिक्षा प्राप्त)।

(1) रु० 150.00+(रु० 18.00+10 वर्ष)=रु० 630.00+(रु० 22.00×10 वर्ष)=रु० 850.00।

(2) रु० 475.00+(रु० 22.00×10 वर्ष)=रु० 695.00+(रु० 26.00×10 वर्ष)=रु० 955.00

(3) रु० 500.00+(रु० 26.00×10 वर्ष)=रु० 760.00+(रु० 32.00×11 वर्ष)=रु० 1112.00

(4) रु० 525 00+(रु० 32.00×10 वर्ष)=रु० 845.00+(रु० 36 00×11 वर्ष)=रु० 1211.00

(5) रु० 550.00+(रु० 36.00×10 वर्ष)=रु० 910 00+(रु० 40 00×12 वर्ष)=रु० 3390 00

(6) रु० 575.00+(रु० 10 00×10 वर्ष)=रु० 975.00+(रु० 11.00×12 वर्ष)=1503.00 रु०

(7) रु० 600 00+(रु० 44.00×10 वर्ष)=रु० 1040.00+(रु० 54.00×12 वर्ष)=रु० 1688 00

5 फिटमेन्ट.

(क) सभी कर्मचारियों को नये ग्रेडों में पाइन्ट-टु पाइन्ट आधार पर फिट किया जाएगा अर्थात् सभी कर्मचारियों को नये मजदूरी वेतनमान में उतनी ही वेतन वृद्धियां मिलेंगी जितनी उन्होंने पुराने वेतनमान में ली है।

(ख) ऐसे व्यक्तियों को जो ग्रेड के अधिकतम पर पहुंच गये हैं, उचित स्टेज पर अगले ग्रेड में फिक्स कर दिया जाएगा।

6. महंगाई भत्ता :

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 305 पर न्यूनतम 220 रुपये के साथ निष्प्रभावन की दर 2 रुपये प्रति प्वाइन्ट होगी। (आधार 1960=100) महंगाई भत्ता 220 रुपये से कम नहीं होगा चाहे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 305 से कम हो जाय।

7. अतिरिक्त महंगाई भत्ता :

(क) प्रचालकों के लिए : ङ श्रेणी के लिए आधारिक वेतन का 2-1/2%, घ श्रेणी के लिए 5% और 'ग' 'ख' और 'क' श्रेणियों को 10% अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जायेगा।

(ख) टी० सी०, लिपिकीय, निम्नतर तकनीकी और पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द : उनके आधारिक वेतन का 10% जमा प्रचालकों को देय महंगाई भत्ते से 15 रु० अधिक अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जायेगा।

8. गृह भाटक भत्ता :

विभिन्न प्रवर्गों के लिए विद्यमान गृह भाटक भत्ता 25 रु० प्रतिमास बढ़ा दिया जायेगा। उनके लिए, जिन्हें कम्पनी के क्वार्टर मिले है, गृह भाटक की कटौती वही रहेगी जो इन मांगों की तारीख को विद्यमान थी। 'कच्चे' क्वार्टरों के लिए किसी प्रकार के किराये की वसूली नहीं होगी।

9. जाब वर्गीकरण :

(क) श्रेणियों में व्यवसाय निर्धारित किए जाएंगे।

(ख) पदनाम (जाब पदनाम/व्यवसाय) और कर्मकार को प्रयोज्य सगुण श्रेणी निम्नानुसार होगी 3—

प्रचालक

पदनाम	श्रेणिया
1. मोबेल आपरेटर, डी० डी० आपरेटर	क-4
2. क्रशर आपरेटर, मिलर, क्रेन आपरेटर, फिटर, इलैक्ट्रिशियन, वायरमैन, टर्नर, प्लम्बर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मोल्डर. पैटर्न मेकर, सिविल मिस्त्री, वेगन ड्रिलर, पाईप फिटर, के ई एम आपरेटर, (डोजर, डंपर, लोडर) ब्लास्टर	क, ख, ग
3. सिली आपरेटर, कूलर आपरेटर, पैकिंग हाऊस आपरेटर कम्प्रैसर आपरेटर, ड्रिलर, ब्लेकस्मिथ, टिकर लाइनर, खलासी मिस्त्री, मिस्त्री, मेट एल एस क्यू	ख, ग, घ
4. कारपेन्टर, मेसन, पेन्टर, कुक, हास्पीटल एटेण्डेण्ट	ख, ग
5. हीट एक्सचेंजर, एण्ड क्लीनर, ब्लास्टर एटेंडेंट, आफिस ब्वाय एण्ड गार्ड।	ग, घ

नोट :—श्रेणी ङ में काम कर रहे अकुशल कार्मिक, यदि उन्हें कुशल या अर्ध-कुशल व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, अधिक से अधिक 1-1/2 वर्ष कार्य करते है, तो इसके बाद वे ऐसे व्यवसाय जिसमें वे प्रशिक्षित किए गए है, के लिए प्रयोज्य उपयुक्त श्रेणी में रखे जाएंगे।

6. प्वाइण्टसमैन, सेम्पल ब्वाय, किलन ग्रेजर, एच० ई० एम० ग्रीजर, खलासी;	घ, ङ
7. पल्पर, शीयरर, स्वीपर, शाप्समैन:	घ

लिपिकीय कर्मचारिवृन्द, पर्यवेक्षी और निम्नतर तकनीकी।

पदनाम	श्रेणी	टिप्पणिया
(1) मास्टर फोरमैन	7	
(2) फोरमैन कैमिस्ट, खजांची, हेड टाइमकीपर।	6, 7	

(3) बर्नर्स, सुपरवाइजर, आफिस असिसटेण्ट ड्राफ्टसमैन	5, 6, 7	
(4) एनालेस्ट	5	
(5) चार्ज हैण्ड	4, 5	क्रेन इन्चार्ज और मैकेनिक चार्ज हैड्स के रूप में निर्दिष्ट किए जाएंगे।
(6) कम्पाउण्डर, नर्स, स्टेनोग्राफर, माइन्स मेट, गेजर	3, 4, 5	
(7) सेक्युरिटी सर्जेण्टस, सेनिटरी इन्चार्ज, टी०पी० आपरेटर (शार्टहैण्ड जानने वाला), टेस्टर	2, 3, 4	
(8) क्लर्क टाइम कीपर	1, 2, 3, 4	श्रेणी-1 केवल टी-सी श्रेणियों से प्रोन्नति के लिए होगी।
(9) टाइपिस्ट, टी०पी० आपरेटर, (शार्टहैण्ड न जानने वाला)	2, 3, 4	
(10) मिड-वाईफ, टेलेफोन आपरेटर	1, 2	
(11) हेड मिस्त्री, एल० एम० क्यू०	टी०सी० 1	
(12) मोल्डिंग मिस्त्री	टी०सी०	

नोट :—बर्नर, पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक और ड्राफ्टसमैन की नियुक्ति करते समय निम्नलिखित मापदण्ड होंगे :—

(क) डिप्लोमा होल्डर और नान-ग्रेजुएट्—5 श्रेणी में स्थायी किए जाएंगे ।

(ख) ग्रेजुएट्स-6 और 7 श्रेणियों में ।

उपर्युक्त मानक पदनाम डी० आर० वाई० और डब्ल्यू० ई० टी० प्लाण्टों में विद्यमान है । शेष पदनाम जो विभिन्न सीमेन्ट यूनिटों में विद्यमान है, यूनियन से परामर्श करके मानकीकृत किए जाने चाहिए और प्रत्येक पदनाम का जाब वर्गीकरण भी तैयार किया जाना चाहिए।

10. प्रोन्नति नीति और कार्यविधि :

निम्नलिखित प्रोन्नति नीति और कार्यविधि सीमेन्ट उद्योग के प्रत्येक यूनिट में अपनाई जायेगी :—

(क) ऐसे कर्मचारी की, जिसने अकुशलवर्ग में सेवा के 10 वर्ष पूरे कर लिये है, स्वतः ही अकुशलवर्ग से अर्ध-कुशल वर्ग में प्रोन्नति कर दी जायेगी ।

(ख) सेमि-स्किल्ड से स्किल्ड लोवर मे प्रोन्नति सेवा की वरिष्ठता के आधार पर की जायेंगी ।

(ग) स्किल्ड लोवर से स्किल्ड अपर मे प्रोन्नति उस द्वारा लोवर ग्रेड मे सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर होगी अर्थात् ऐसे सभी कर्मचारियों की जिन्होंने लोवर स्किल्ड वर्ग मे चार वर्ष पूरे कर लिए हैं, स्किल्ड हायर वर्ग मे प्रोन्नत कर दिया जाएगा, और उन्हें उचित स्टेज पर फिक्स कर दिया जायेगा ।

(घ) स्किल्ड अपर से हाइली स्किल्ड में प्रोन्नति रिक्ति पर आधारित होगी और सिद्धान्त सीनियारटी-कम-मेरिट होगा ।

(ङ) ब्यौरे प्रत्येक यूनिट में यूनियन के परामर्श से तैयार किए जाएगे ।

(च) मद्रण सिद्धान्त टेलीक्लर्क, लिपिकीय, निरतर तकनीकी और पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द के बारे मे तैयार किए जायेंगे ।

11. भर्ती :

सेवानिवृत्ति, मृत्यु, पदच्युति, पदत्याग से उत्पन्न सभी रिक्तियां कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों या मृतको के आश्रितों आदि द्वारा शीघ्र ही भरी जायेंगी।

12. नैमित्तिक श्रमिक और बदली श्रमिक आदि :

ऐसे नैमित्तिक कर्मचारियों, जिन्होंने छ: महीने पूरे कर लिए है या कर लेंगे, को स्थायी कर दिया जाएगा ।

बदली श्रमिको की सेवा शर्तें और परिलब्धियां परस्पर विचार विमर्श करने के बाद विशेष रूप से तैयार की जायेगी और ऐसे सभी श्रमिको को, जिन्हे किसी विशिष्ट दिन पर रोजगार नही दिया जाना है, आधी मजदूरी दी जायेगी।

13. संविदा श्रमिक :

कारखाना/खदानों मे संविदा पद्धति को बिल्कुल उत्सादित कर दिया जाना चाहिए और सभी ठेकेदारो के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को कंपनी की स्थायी पजी पर ले लिया जाना चाहिए ।

14. आवास :

सीमेंस्ट उद्योग के सभी कर्मचारियों के लिए उचित स्तर के क्वार्टरो का क्रमिक निर्माण किया जाएगा और कम से कम 75% कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जायेंगे । ऐसे स्थानों में जहां 75% क्वार्टर पहले से ही निर्मित किए जा चुके है, 25% और क्वार्टर बनाए जाएगे ।

15. डाक्टरी सुविधाएं :

ऐसे कर्मचारियों को जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत नही आते है, उन द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता सहित मुफ्त इलाज और डाक्टरी सुविधाएं दी जायेंगी ।

16. छुट्टी यात्रा भत्ता :

कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा भत्ता (बिना किसी शर्त के) एक मास की मजदूरी/वेतन की दर से, जिसमें महगाई भत्ता भी शामिल है, प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा।

17. रात्री पारी भत्ता :

द्वितीय और तृतीय पारी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को उनके आधारिक वेतन के 10% की दर से रात्रि-पारी भत्ता दिया जाना चाहिए।

18. ऊष्मा भत्ता :

स्टीम लोको बायलर हाउस, बिल्न सैक्शन और कोयला मिल फाउण्ड्री और स्मिथि अनुभागों तथा पैकिंग प्लांटो मे काम करने वाले कर्मचारियों को, उनके आधारिक वेतन के 10% की दर से ऊष्मा भत्ता दिया जायेगा।

19. धूल-भत्ता :

ऐसे सभी कर्मचारियों का जो कारखाना और खदान मे काम कर रहे है, उनके आधारिक वेतन के 10% की दर से धूल भत्ता दिया जाना चाहिए । इन कर्मचारियों को प्रति सप्ताह एक किलोग्राम गुड़ और 300 ग्राम नारियल का तेल भी दिया जाना चाहिए ।

20. कार्यकारी भत्ता :

ऐसे श्रमिक/कर्मचारी को, जो पदधारी के छुट्टी जाने या उपस्थित न होने के कारण, उच्चतर पदो मे काम करता है, उसे अपनी मजदूरी तथा उस श्रेणी या पद, जिसमे वह कार्य करता है, की न्यूनतम मजदूरी के बीच अन्तर की राशि का भुगतान किया जाएगा ।

21. प्रदूषण का निवारण.

सभी सीमेन्ट कारखानों द्वारा पर्यावरणीय तथा व्यावसायिक प्रदूषण से कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा और धूलि पर काबू पाने के लिए "कंडीशनिंग कूलिंग टावर" सहित "इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर्स" शीघ्र ही चालू किया जायेगा।

22. वर्दियां :

ऐसे सभी कर्मचारियों को, जो कारखाना/खदान में काम कर रहे है, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में अर्थात् जनवरी में वर्दियों के 3 सेट दिए जाएंगे।

23. धुलाई भत्ता :

कर्मचारियों को 10 रु० प्रतिमास धुलाई भत्ता दिया जायेगा।

24. रेनकोट (बरसाती) :

क्वालिटी रेन कोट ऐसे सभी कर्मचारियों को, जो वर्षा के दौरान खुले स्थानों में आते जाते है और काम करते है, दिए जाएंगे।

25. बूट :

विद्युत और फेस विभाग के सभी कर्मचारियों को रबड़-सोल और शाक प्रूफ बूट दिए जायेंगे और कारखाना/खदान के सभी शाप-फ्लोर कर्मचारियों को बूट दिए जाएंगे।

26. ऊनी जर्सी :

क्वालिटी ऊनी जर्सी भारी और हल्के वाहनों, सफाई विभाग, खदानों आदि में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को प्रत्येक दूसरे वर्ष दी जायेगी और चालकों तथा खपरासियों को प्रत्येक दूसरे वर्ष जैकेट (ऊनी) दी जाएंगी।

27. भारी वाहन भत्ता :

भारी वाहन का वर्तमान भत्ता दुगना कर दिया जाएगा और जहां नहीं दिया जाता वहां दिया जाएगा।

28. छुट्टी और छुट्टियां :

बिहाड़ी पर रखे गए सभी श्रमिकों को वैसी ही बीमारी की छुट्टी, प्रिविलेज छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी मिलेगी जैसे मासिक रूप से संदाय पाने वाले कर्मचारियों को दी जाती है।

कर्मचारियों को ऐसी छुट्टियों के लिए जो रविवार या साप्ताहिक अवकाश के दिनों पर पड़ती हैं, संघ के परामर्श से, उस दिन के लिए अतिरिक्त संदाय दिया जाएगा या प्रतिस्थानी छुट्टी दी जाएगी।

29. रियायती सीमेन्ट.

अपना मकान बनाने वाले कर्मचारियों को सीमेन्ट के थोक मूल्य के 25 प्रतिशत बट्टे की रियायती दर पर 200 बोरे तक सीमेन्ट दिया जायेगा।

30. वर्तमान अधिकार, प्रसुविधाएं और विशेषाधिकार :

कर्मचारियों की वर्तमान अधिकार, प्रसुविधाएं और विशेषाधिकार आदि मिलते रहने चाहिए।

उपाबन्ध 'ख'

सही प्रतिलिपि

अखिल भारतीय सीमेन्ट कर्मचारी संघ

(ए० आई० सी० डब्ल्यू० एफ०) (ए० आई० टी० यू० सी०)

अमासन्द्रा—572211, तुमकुर जिला (दक्षिणी रेलवे) कर्नाटक

संदर्भ: संख्या 20/77-78 दिनांक 3 जनवरी, 1978

श्री पी० वी० गुनीशास्त्री,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सीमेन्ट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन,
एक्सप्रेस बिल्डिंग,
चर्च गेट, रेलवे स्टेशन के सामने,
बम्बई-400020

प्रिय महोदय,

विषय :—अखिल भारतीय सीमेन्ट कर्मचारी संघ के मांग-पत्र के बारे में सीमेन्ट उद्योग संबंधी विवाचन बोर्ड को निर्देशन

आपको मालूम है कि अखिल भारतीय सीमेन्ट कर्मचारी संघ (ए० आई० टी० यू० सी०) से सम्बद्ध यूनियनों ने देश में विभिन्न सीमेन्ट यूनिटों के प्रबन्धकों को मांग-पत्र भेजा है। ये मांगें मजदूरी ढांचा के पुनरीक्षण, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता में वृद्धि आदि से संबंधित हैं। मांग-पत्र में अब 30 बाद विषय है। हम ने सीमेन्ट उद्योग के विवाचन बोर्ड से यह देखने के लिए अनुरोध किया था कि इन मांगों को भी उन मांगों के साथ उठाया जाए जो इंडियन नेशनल सीमेन्ट एण्ड ऐलाइड वर्कर्स फेडरेशन (आई० एन० टी० यू० सी०) आदि ने उठाई थीं। हम यह भी नोट करते हैं कि 1-12-1977 को बोर्ड को भेजे गए अपने लिखित बयान में आपने हमारे मांग-पत्र, हमारी कुछ यूनियनों द्वारा भेजे गए तारों, जिसमें अन्तरिम सहायता की मांग की गई है, तथा हमारे मांग पत्र को विवाचन के लिए शामिल करना, आदि का उल्लेख किया है। आपने अपने लिखित बयान में और आगे कहा है कि "उपर्युक्त मांग पत्र और अन्य मांग-पत्रों को, जिन्हें ए० आई० सी० डब्ल्यू० एफ० से सम्बद्ध यूनियनों और अन्य यूनियनों, जिनके कार्यकलापों का क्षेत्र विभिन्न सीमेन्ट कर्मचारियों तक है, द्वारा उठाए जाने की आशा है, को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि विवाचन बोर्ड की एक बैठक बुलाई जाए जो यूनियनों द्वारा (उन यूनियनों को छोड़कर जो फैडरेशन का प्रतिनिधित्व करती है और जो मध्यस्थ समझौते की एक पार्टी है) उठाई गई मांगों से उत्पन्न स्थिति पर विशेष रूप से विचार करेगी। सी० एम० ए० यह स्वीकार करती है कि इन यूनियनों को, जिन्होंने मांग-पत्र (कुछ मामलों में अतिरिक्त मांगों सहित) उठाया है फेडरेशन की तरह मांगों के समर्थन में पहले अपना बयान प्रस्तुत करना अपेक्षित है और तब सी० एम० ए० को निदेश दिए जाएं कि वे अपने बयानों के साथ अपना पुनरुत्तर पृथक रूप से दायर करें (पृष्ठ 5, पैरा 1.5)।

हमारे द्वारा दिए गए इस अध्यावेदन तथा आप द्वारा दिए गए सुझावों के बावजूद, बोर्ड ने अभी तक कोई निदेश नहीं दिए हैं कि वे हमारे मांग पत्र को शामिल करें और हमारे दावा-बयान के लिए अपने पुनरुत्तर आदि दायर करें। दूसरी ओर, 26 तथा 27 दिसम्बर, 1977 को बम्बई में हमारी हाल की बैठकों के दौरान बोर्ड ने हमें बताया कि कानूनी रूप से पंचाट समझौता दिनांक 14 सितम्बर, 1977 के अनुसार सरकार द्वारा दिया गया यह निर्देश उनके लिए आबद्धकर है।

उपर्युक्त को देखते हुए, सीमेन्ट उद्योग संबंधी विवाचन बोर्ड के समक्ष अपने मांग पत्र पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करना हमारे लिए अत्यधिक मुश्किल होगा।

अखिल भारतीय सीमेन्ट कर्मचारी संघ की सीमेन्ट उद्योग की 22 यूनिटों में यूनियनें है और यह यूनियनें पर्याप्त संख्या में सीमेन्ट कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि इनकी मांगों पर विवाचन बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाता, तो यह उन कर्मचारियों के प्रति भारी अन्याय होगा जिनका हम प्रतिनिधित्व करते है। इस परिस्थिति के कारण, सीमेन्ट उद्योग में कर्मचारी, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत ही उत्तेजित हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए वे निकट भविष्य में हड़ताल पर जाने का विचार कर रहे है।

हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि शान्तिपूर्ण ढंग से इस स्थिति से निपटने के लिए एक रास्ता यह है कि सी० एन० ए० और हमारी फेडरेशन भारत सरकार को एक संयुक्त आवेदन पत्र दें कि हमारी मांगों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन विनिश्चय बोर्ड के पास भेजें।

हम आप से अनुरोध करेंगे कि आप इस सुझाव को स्वीकार करें और यह देखें कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-क के अधीन भारत सरकार को एक संयुक्त आवेदन पत्र दिया जाए कि वह हमारे विवाद को उसी विवाचन बोर्ड को सौंपे जो पहले से ही गठित किया गया है लेकिन उसमें दो और सदस्य, एक ए० आई० सी० डब्ल्यू० एफ० और दूसरा सी० एम० ए० से शामिल हों।

आप इस बात को मानेंगे कि इससे उन्हें न्याय मिलेगा। हम आप से अनुरोध करते है कि आपके विचार हमें इस माह की 8 तारीख से पहले मालूम हो जाएं। यदि फिर भी हमें कोई जवाब नहीं मिलता, तो हमे मजबूर होकर हड़ताल की कार्यवाही का सहारा लेना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि आप हमारे सुझाव को स्वीकार करेंगे और औद्योगिक संबंधों को बिगड़ने से बचाएंगे।

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते अखिल भारतीय सीमेन्ट कर्मचारी संघ

ह०

एच० एन० नरेन्द्र प्रसाद, महा मंत्री

प्रतिलिपि प्रेषित :

(1) श्री रवीन्द्र वर्मा, श्रम और संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(2) श्री जार्ज फर्नांडिस, उद्योग मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली-1

(3) श्री जे० रामानुजम, 2/44, रोयापीटा हाई रोड, मद्रास-60014

(4) श्री आर० पी० नेवाटिया, बजाज भवन, नरिमन पाइन्ट, बम्बई-20.

(5) श्री टी० एन० सिद्धान्था, अध्यक्ष, ए० आई० सी० डब्ल्यू० एफ०, 24 कॉनिंग लेन, नई दिल्ली।

[संख्या एल-29013/1/78-डी०-3(बी०)]

जगदीश प्रसाद, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th April, 1978

S.O. 1320.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to Cement Manufacturers Association, Express Building, Churchgate, Bombay and its workmen represented by All India Cement Workers' Federation (AITUC), Ammasandra-572211, Tumkur Dist. (S. Railway) Karnataka.

And, whereas the said employers and workmen have, by a written agreement in pursuance of the provisions of the sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 agreed to refer the said dispute to arbitration by the persons specified therein and a copy of the said agreement has been made available to the Central Government.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 10A of the said Act the Central Government hereby publishes the said Agreement.

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of Parties.

Representing employers : The Cement Manufacturers Association Express Building, Opp. Churchgate Station, Bombay-400020.

Representing workmen : All India Cement Workers Federation (AITUC), Ammasandra-572211, Tumkur Dist. (S. Railway) Karnataka.

Whereas several unions affiliated to the All India Cement Workers Federation (AITUC) submitted an identical Charter of Demands (a copy of which is annexed hereto and marked Annexure "A") to several Companies with copies to the Cement Manufacturers Association.

And whereas the All India Cement Workers Federation has requested the Cement Manufacturers Association by its letter Ref. 20/77-78 dated 3rd January, 1978 (a copy of which is annexed hereto and marked Annexure "B") to agree to make a joint application to the Union Government to refer their affiliates Charter of Demands also under Section 10A of the Industrial Disputes Act to the Arbitration Board of Sarvashri G. Ramanujam and R. P. Nevatia;

And whereas by Arbitration Agreement dated 14-10-1977 the Cement Manufacturers Association and the Indian National Cement & Allied Workers Federation have already referred the disputes raised by the Indian National Cement & Allied Workers Federation by its Notice of Strike dated 22-8-77 to the Arbitration of Sarvashri G. Ramanujam and R. P. Nevatia under Section 10A of the Industrial Disputes Act;

And whereas the subject matters of the demands raised by the affiliates of the All India Cement Workers Federation in their said Charter of Demands annexed hereto (Annexure "A") except the five demands viz. Demand No. 10 (Promotion Policy and procedure); Demand No. 11 (Recruitment); Demand No. 14 (Housing); Demand No. 20 (Acting Allowance) and Demand No. 21 (Prevention of pollution) are already pending before the said Arbitrators;

And whereas the above-named parties hereby agree to refer the said five demands to the arbitration of the said Arbitrators under Section 10A of the Industrial Disputes Act;

Now therefore, in pursuance to the above, the parties hereby agree to refer the said five disputes to the arbitration of :

(1) Shri G. Ramanujam, 2/44, Royapettah High Road, Madras-14.

(2) Shri R. P. Nevatia, Bajaj Bhavan, Nariman Point, Bombay-400020.

(i) Specific matters in dispute:	Whether the five demands viz. Demand No. 10 (Promotion policy and procedure); Demand No. 11 (Recruitment); Demand No. 14 (Housing); Demand No. 20 (Acting Allowance) and Demand No. 21 (Prevention of pollution) as contained in the Charter of Demand appended hereto as Annexure "A" are justified. If so, to what relief are the workmen entitled.
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved:	(a) Cement Manufacturers' Association, Express Building Opp. Churchgate Station, Bombay-400020.
	(b) All India Cement Workers' Federation, Ammasandra-572211 Tumkur Dist. (S. Railway), Karnataka.

(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workman or workmen in question:	All India Cement Workers' Federation.
(iv) Total number of workmen employed in the undertakings affected :	90,000 (Approximately).
(v) Estimated number of persons affected or likely to be affected by the dispute :	90,000 (Approximately).

We further agree that the unanimous decisions of the Arbitrators shall be binding on us. In case the Arbirators are divided in their opinion they shall appoint an umpire mutually acceptable to the Arbitrators, whose Award shall be binding on us.

The Arbitrators shall make their Award on or before 30th September, 1978 but this period can be extended with the consent of the parties.

The cost of the arbitration will be borne by the employers. If there is any dispute on admissibility and reasonableness on the questions of cost, the arbitrators will decide the dispute.

Dated at Bombay this 22nd day of February, 1978.

Signature of the parties:

Representing employers :	Representing workman:
For and on behalf of the Cement Manufacturers' Association	For and on behalf of the All India Cement Workers Federation:
Sd/-(P.V. GUNISHASTRI)	Sd/-(H.N. NARENDRA PRASAD)
CHIEF EXECUTIVE OFFICER	GENERAL SECRETARY (A.I.C.W.F.)
witnesses :	witnesses :
1. Sd/- (V.J.TAMHANE)	2. Sd/-(ABHAI SINGH)

we agree.

1. Sd/- (G.Ramanujam)
2 Sd/- (R.P.Nevatia) Arbitrator [8]

ANNEXURE "A"

CHARTER OF DEMANDS

1. Pending settlement of the Charter of Demands an Interim Relief should be paid to all employees at the rate of Rs. 100 per month from 1-3-1977.

2. Minimum Emoluments :

(a) The minimum emoluments for an unskilled employees in the works/quarry/office shall be Rs. 400 basic, and Rs. 220 D.A. at the All India Consumer Price Index Figure of 305, base 1960=100. (305 is the average of the month of October, November and December, 1976).

(b) This minimum emoluments for an unskilled worker shall be w.e.f. 1-3-1977.

3. Pay Scales for Operatives :

Grades :

E –Rs. 400.00 + (Rs. 7.80×7 yrs). = Rs. 454.60 + (Rs. 10.40×7 yrs.) = Rs. 527.40.

D –Rs. 425.00+(Rs. 10.40×7 yrs.) = Rs. 497.80 + (Rs. 15.60×7 yrs.) = Rs. 607.00.

C –Rs. 450.00+(Rs. 15.60×7 yrs.) = Rs. 559.20 + (Rs. 20.80×7 yrs.) = Rs. 704.80.

B –Rs. 475.00 + (Rs. 20.80×7 yrs.) = Rs. 620.60 + (Rs. 31.20×7 yrs.) = Rs. 839.00.

A –Rs. 500.00 + (Rs. 31.20×7 yrs.) = Rs. 718.40 + (Rs. 39.00×7 yrs.) = Rs. 991.40.

4. Pay Scales for Tally Clerk (TC), Clerical, Lower Technical and Supervisory Staff.

TC. –Rs. 430.00 + (Rs. 14.00×8 yrs.) = Rs. 542.00 + (Rs. 18.00×8 yrs.) = Rs. 686.00 (Non-matriculate).

I.– Rs. 450.00 + (Rs. 18.00×10 yrs.) = Rs. 630.00 + (Rs. 22.00×10 yrs.) = Rs. 850.00.

II. –Rs. 475.00 + (Rs. 22.00×10 yrs.) = Rs. 695.00 + (Rs. 26.00 × 10 yrs.) = Rs. 955.00.

III. –Rs. 500.00+ (Rs. 26.00×10 yrs.)=Rs. 760.00 + (Rs. 32.00×11 yrs.) = Rs. 1112.00.

IV. –Rs. 525.00 + (Rs. 32.00×10 yrs.)= Rs. 845.00 + (Rs. 36.00×11 yrs.) = Rs. 1241.00.

V. –Rs. 550.00 + (Rs. 36.00 × 10 yrs.) = Rs. 910.00 + (Rs. 40.00×12 yrs.) = Rs. 1390.00.

VI—Rs. 575.00+(Rs. 40.00×10 yrs) = Rs. 975.00 + (Rs. 44.00 × 12 yrs.) = Rs. 1503.00.

VII. –Rs. 600.00 + (Rs. 44.00×10 yrs.) =Rs. 1040.00 + (Rs. 54.00×12 yrs.)=Rs. 1688.00.

5. Fitment :

(a) All employees shall be fitted in new grades on a point-to-point basis, meaning that all will get as many increments in the New Wage Scale as they got in the old scale.

(b) Persons who reach the Maximum of the Grade, shall be fixed in the next grade at the appropriate stage.

6. Dearness Allowance

Rate of Neutralisation shall be Rs. 2 per point with a minimum of Rs. 220 at the CPI figure of 305.

(Base 1960=100). The D.A. shall not go below Rs. 200 even if the CPI figure falls below 305.

7. Additional Dearness Allowance :

(a) Operatives : 2-1/2 basic salary to E Grade, 5 per cent to D grade and 10 per cent to C. B. and A grade shall be paid as additional D.A.

(b) To, Clerical, Lower Technical, and Supervisory staff 10 per cent of their basic salary, plus Rs. 15 more than the D.A. payable to operatives shall be paid as Additional D.A.

8. House Rent Allowance :

The existing HRA for different categories shall be increased by Rs. 25 per month. Deduction of HRA shall remain the same as existed on the date of these demands, for those who are provided companies quarters. There shall not be any recovery of rent for "Kutcha" quarters.

9. Job Classification :

(a) The trades in the grades shall be fixed in.

(b) The designation (Job designation/Trade) and the Corresponding grade applicable to the workmen shall be as follows :—

Operatives ::

Designation	Grades
1. Shovel Operator, D.D. Operator.	A, IV
2. Crusher operator, Miller, Crane operator, Fitter, Electrician, Wireman, Turner, Plumber, Welder, Machinist, Moulder, Pattern Maker, Civil Mistry, Wagon Driller, Pipe fitter, KEM operator, (Dozer, Dumper(Loader) Blaster;	A, B, C.
3. Silo opertor, Cooler operator, packing house operator, Compressor operator, Driller, Blacksmith, Tinker liner, Khalasi maistry, Maistry, Mate LSQ.	B, C, D.
4. Carpentor, Mason, Painter, Cook, Hospital attendant.	B, C.
5. Heat exchanger, and Cleaner, Blaster attendant, Office boy and Guard.	C, D.
6. Pointman, Sample boy, Kiln greaser, HEM greaser, Khalasi.	D, E.
7. Helper, Bearer, Sweeper, Hopperman.	D.

Note: Unskilled personnel working in Grade E, if taken up for training for skilled or semi-skilled trades, work maximum 1½ years, after which they will be placed in suitable grade applicable for the trade in which they are trained.

Clerical Staff, Supervisory and Lower Technical:

Designation	Grade	Remarks
(1) Mines Foreman.	VII	
(2) Foreman, Chemist, Cashier, Head Time Keeper.	VI, VII	
(3) Burners, Supervisor, Office Asstt. Draughtsman.	V, VI, VII	
(4) Analyst.	V	
(5) Charge Hand.	IV, V	—Crane I/c and Mechanic will be designated as charge hands.
(6) Compounder, Nurse, Stenographer, Mines mate, Gauger.	III, IV, V.	
(7) Security seargents, Sanitary I/c, TP Optr. (Knowing Shorthand), Tester.	II, III, IV.	
(8) Clerk, Time Keeper.	I, II, III, IV	—Grade I will be only for promotions from Tc. grades.
(9) Typist, T.P. Optr. (Not knowing shorthand).	II,III,IV.	
(10) Mid-wife, Telephone Optr.	I,II	
(11) Head Maistry, LSQ.	Tc.I	
(12) Loading Maistry.	Tc.	

Note : While appointing Burner, Supervisor, Office asstt. and Draughtsman, the following will be the criterion;

(a) Diploma holders and non-graduates will be confirmed in V Grades.

(b) Graduates in VI and VII grades.

Above standard designations are existing in DRY and WET Plants. Rest of the designations that are existing in various cement units should be standardised in consultations with the Unions and job discription of each designations should be evolved.

10. Promotion Policy and Procedure :

The following promotion policy and procedure shall be adopted in each unit of the cement industry:

(a) Promotion shall be given from unskilled category to semiskilled category automatically after an employee has put in 10 years of service in the unskilled category.

(b) From semi-skilled to skilled lower, promotions shall be on the basis of Seniority of service.

(c) Details shall be workedout in each unit in consul- be on the basis of No. of years of service he has put in the lower grade, viz., all those who have put in or completed 4 years of service in the lower skilled category shall be up graded to the skilled higher category and fixed at the appropriate stage.

(d) From skilled upper to highly skilled, promotion shall be vacancy based and the principle shall be seniority cum-merit.

(e) Details shall be workedout in each unit in consultations with the union.

(f) Similar principle shall be evolved or formulated in respect of Tally checkers, Clerical, Lower Technical and Supervisory staff.

11. Recruitment :

All vacancies arising out of retirement, death, discharge, resignations shall be immediately filled up by employees sons/ daughters or dependents of the deceased etc.

12. Casual Labour and Badlies etc.

Casual employees who have or will complete six months shall be made permanent.

Conditions of service and emoluments of Badli worker shall be specifically evolved after mutual discussion and all those workers who are not provided employment on a particular day shall be paid half the wages.

13. Contract Labour :

Contract system shall be totally abolished in factory/quarries and the employees working under all contractors should be taken on companies permanent roll.

14. Housing :

Quarters of proper standard shall be constructed for all employees in cement industry in a phased manner and at least 75 per cent of the employees shall be provided with quarters. In those places where 75 per cent is already constructed the rest of 25 per cent shall be constructed early.

15. Medical Facilities :

Free Medical Facilities and treatment including financial assistance and reimbursement of expenses incurred by the ees shall be given to those employees who are not by ESI Scheme.

eave Travel Allowance :

oyees shall be given leave travel allowance (without n) at the rate of one month wages/salary including s Allowance every year.

17. Night Shift Allowance :

All employees working in II and III shift shall be given Night Shift Allowance at the rate of 10 per cent of their basic pay.

18. Heat Allowance :

Employees working in Steam Loco, Boiler House, Kiln sections and Coal mills, Foundry and Smithy sections and Packing plants shall be given Heat Allowance at the rate of 10 per cent of their basic pay.

19. Dust Allowance :

All those employees working in Factory and Quarry shall be given dust allowance at the rate of 10 per cent of their basic pay. These employees should also be given one Kg. of Jaggery and 300 grams of Coconut oil per week per head.

20. Acting Allowance :

Any worker/employee who works on higher posts due to leave or absence or incumbents shall be paid the difference in wages he is getting and the minimum of the grade or post in which he acts.

21. Prevention of Pollution :

All Cement factories shall immediately introduce "Electro-Static precipitators' with "conditioning Cooling Tower" to arrest the dust and safeguard the health of the employees from environmental and occupational pollution.

22. Uniforms :

All those employees working in Factory/Quarry shall be given 3 sets of uniforms at the beginning of every year viz. January.

23. Washing Allowance :

Employees shall be given washing allowance of Rs. 10 p.m.

24. Rain Coats :

Quality Rain Coats shall be given to all those employees who have to move and work in open area during rains.

25. Boots :

Rubber-sole and Shock-proof boots shall given to all Electrical and Grane Deptt. Employees and boots shall be given to all shop-floor employees of Factory/Quarry.

26. Woollen Jersies :

Quality woollen jersies shall be supplied to all employees working in sanitation deptt. quarries, heavy and light vehicles etc., every alternate year and drivers and peons shall be given jackets (woollen) every alternate year.

27. Heavy Vehicle Allowance :

Existing heavy vehicle allowance shall be doubled and introduced wherever not existing.

28. Leave and Holidays :

All daily-rated workers should be given same SL, P.L. and CL as given to monthly paid employees.

Employees shall be paid for Holidays which fall on Sundays and weekly offs by way of extra payment of a day, or a substitute holiday be given in consultations with Unions.

29. Concessional Cement :

Employees building their own houses shall be given cement upto 200 bags at a discount rate of 25 per cent of the whole sale rate as a measure of concession.

30. Existing Rights, Benefits and Privileges :

Employees should continue to get their existing rights, benefits and privileges etc.

ANNEXURE 'B'

TRUE COPY

ALL INDIA CEMENT WORKERS FEDERATION

(AICWF) (AITUC)

Ammasandra-572211, Tumkur Dist. (S. Railway) Karnataka.
Ref. No. 20/77-78

Dated 3rd Jan. 1978

Shri P. V. Gunishastri,
Chief Executive Officer,
Cement Manufacturers Association,
Express Building,
Opposite to Church Gate Rly. Station,
Bombay-400020.

Dear Sir,

Subs :Reference to Arbitration Board for Cement Industry regarding A.I.C.W.F. Charter of Demands.

You are, aware that the Affiliated Unions of All India Cement Workers Federation (AITUC) have submitted Charter of Demands to the Managements of several Cement in the country. These Demands are pertaining to revision of Wage Structure, enhancement of D.A. and H.R.A. etc. There are now 30 issues in the Charter of Demands. We had requested the Arbitration Board for Cement Industry to see that these Demands are also taken up along with the Demands submitted by the Indian National Cement and Allied Workers Federation (I.N.T.U.C.) etc. We also note that in your written statement to the Board submitted on 1-12-1977, you have referred to our charter of Demands, the Telegrams sent by some of our Unions demanding Interim Relief as well as inclusion of our Charter of Demands for Arbitration etc. You have further stated in your written statement that "in view of the Charter of Demands aforesaid that the other Charter of Demands which are expected to follow from the Unions affiliated to AICWF and other Unions having their field of activities at the various Cement Workers. it is necessary that a meeting of the Arbitration Board be held specially to consider the situation arising out of the Charter of Demands by the Unions other than those represented by the Federation which is a party to the Arbitration agreement. The C.M.A. submits that these Unions which have raised Charter of Demands (including in some cases additional demands) be acquired to first submit their statement in support of Demands like the Federation and the C.M.A. should then be directed to file their rejoinder separately to their statements" (page 5. para 1.1.5.).

Despite this representation made by us, as well as the proposals made by you, the Board has not yet given any directives for inclusion of our Charter of Demands and for filing your rejoinder etc., to our claim statement. On the otherhand, the Board has told us during its recent sittings at Bombay on 26th & 27th Dec. 77, that legally they are bound by the reference that has been made by the Government in accordance with the arbitration agreement dated 14th September, 1977.

In view of the above, it would be extremely difficult for us to present our view points on our Charter of Demands before the Arbitration Board for Cement Industry.

The All India Cement Workers Federation has its Unions in 22 Units of Cement Industry and represents a substantial number of Cement Workers. If their Demands are not taken up into consideration by the Arbitration Board, it would be gross injustice to the workers whom we represent. Because of this position, the workers in the Cement Industry whom we represent are very much agitated and are thinking of launching a strike in the immediate future in order to press their Demands.

We would like to submit that the only way to resolve the situation in a peaceful manner is to see that the C.M.A. and our Federation make a joint application to the Government of India to refer our Demands to a Board of Arbitration under Sec. 10A of the I.D. Act, 1947.

We would request you to accept this proposal and see that a joint application is made to the Government of India under Sec. 10A of the I.D. Act, to refer our dispute to the same Arbitration Board which has already been constituted, but including two more members, one from the AICWF and another from the C.M.A.

You will appreciate that this will meet the ends of justice. We request you to let us know your opinion before 8th of this month. If, however, we don't receive any reply, we will be forced to take recourse to Strike action. We hope you will accept our suggestion and avoid maring Industrial relations.

Thanking Your

Yours faithfully,

For All-India Cement Workers Federation.
Sd./-

H. N. NARENDRA PRASAD, General Secretary

CC :

1. Shri Ravindra Verma, Minister for Labour & Parliamentary Affairs, Government of India, New Delhi.
2. Sri George Fernades, Minister for Industries, Government of India, New Delhi.
3. Shri G. Ramanujam, 2/44, Royapettah High Road, Madras-600014.
4. Sri R. P. Nevatia, Bajaj Bhavan, Nariman Point, Bombay-20.
5. Shri T. N. Sidhantha, President, A.I.C.W.F., 24, Canning Lane, New Delhi.

[No. L-29013/1/78-D. III. B]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

New Delhi, the 18th April, 1978

S.O. 1321.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Jay Transport Company, Transport Contractor of National Coal Development Corporation Limited, Post Office Bermo, District Hazaribagh and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th April, 1978.

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 3 of 1977.
Old No. 14 of 1973.

PARTIES :

Employers in relation to M/s. Jay Transport Company, Transport Contractor of National Coal Development Corporation Ltd., P.O. Bermo, Distt. Hazaribagh.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri T. P. Chowdhury, Advocate and Shri B. Joshi, Advocate.

For Workmen : Shri B. K. Lath, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Transport

Dhanbad, the 5th April, 1978

AWARD

This is a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, by tht Govt. of India, Ministry of Labour & Rehabilitation, Deptt. of Labour & Employment under Order No. L-20012/158/72-LRII dated 24th March, 1973. The schedule is extracted below.

SCHEDULE

"Whether the action of management of M/s. Jay Transport Co., engaged as Transport Contractors in the establishments of National Coal Development Corporation Ltd., P.O. Bermo, Distt. Hazaribagh in refusing work to the following workmen from the 30th September, 1972 onwards is justified ? If not, to what relief are these workmen entitled ?

(Names with designation of the workmen are given in a seperate sheet attached as Annexure 'A').

2. It appears that 49 persons are involved who claim to be in the employment of M/s. Jay Transport Company engaged as transport contractors in the establishment of National Coal Development Corporation Ltd., and their grievance is that the transport Company has refused work to them with effect from 30-9-1972. Reference is with respect to the justifiability or otherwise of such an action.

3. The Jay Transport Company moved the Patna High Court in Civil Writ Jurisdiction under Articles 226 and 227 of the Constitution of India which was numbered as Case No. 5/74. They challenged the validity and legality of the Reference and their case was that since they were not carrying on any trade or business which could in any way said to be in relation to, or connected with or incidental to mines, the Central Government was not appropriate government within the meaning of Section 2(a)(i) of the Industrial Disputes Act and in that view of the matter the reference was incompetent. They also took up the plea that there was no relationship of employer and employee and further that no dispute had been raised with the management earlier and on these two grounds also the Reference was invalid.

4. The matter was heard and disposed of by the learned Judges on the ground that the same preliminary points had been raised in the Tribunal itself and as certain evidences were required to decide the same it would be proper for the Transport Company to agitate those points before the Tribunal.

5. Before me Shri T. P. Choudhury, Advocate, appearing for the transport company has raised only two points viz. that the appropriate government in the instant case is not the Central Government but the State Government in as much as the company does not fall within the purview of the Section 2(h) of the Mines Act and further that there was no relationship of employer and employee between the parties and his submission is that on these two grounds the Reference is invalid.

6. From the record it appears that Shri B. K. Lath and Shri Lal Chand Mahato were representing the workmen and when the witnesses were examined on behalf of the management Mr. Lath cross-examined all except one. But thereafter he left taking interest in the case and ultimately exparte argument was heard.

7. Section 2(a)(i) of the I.D. Act, 1947 defines appropriate government and Section 2(h) of the Mines Act speaks as to when a person is said to be employed in a mine. In relation to any industrial dispute concerning any industry carried on by or under the authority of the Central Government it is the Central Government which is the appropriate government and in relation to any other industrial dispute the appropriate government is the State Government. A person is said to be employed in a mine if he works in any mining operation or cleaning or oiling any part of any machinery used in or about the mine, or in any other kind of work whatsoever incidental to, or connected with, mining operations. Evidence has been laid that Jay Transport Company is not engaged in any mining operation or in any other kind of work whatsoever incidental to or connected with that operation, or is engaged in cleaning or oiling any part of any machinery used in or about the mine. MW-3 has stated that the Jay Transport Company has transport business and the trucks taken or hire are utilised for transport from Bermo to Kargali washery and from Kargali to Bokaro Thermal Power Station etc. MW-2 has said that the company hire trucks for transport of middling from Kargali

Coal Washery. It means that the trucks which are used by the transport company are for transport of middlings from Bermo to Kargali Coal washery and from that washery to Bokaro Thermal Power Station. That being so, there can be no doubt that Jay Transport Company has nothing to do with any mining operation or is connected with any of the work incidental to the mining operation or oiling and cleaning of the machinery used in a mine. In that view of the matter it is manifest that it can't be said to be engaged in any mining operation as defined in Section 2(h) of the Mines Act and thus it is not an industry over which the Central Government has any authority. Therefore, that Government is not an appropriate government as mentioned in Section 2(h)(i) of the I.D. Act, 1947. That being so, it could not have made the present Reference which seems to be incompetent.

8. Let us now take up the second point about the relationship of employer and employee between the parties. MW-1 is looking after the case work of M/s. Jay Transport Co. which is undoubtedly engaged in transport business. His evidence is that it is a partnership firm and it hires trucks on contract basis for the purpose of transport. He says further that there was a contract of this company with the National Coal Development Corporation Limited for transport of middlings from Kargali washery to Bokaro Tharmal Power Station of the D.V.C. and for that purpose they used to hire trucks for which payment used to be made to the truck owners. According to him Bharat Singh who is one of the partners is owner of four trucks and whenever his truck is enaged on hire he gets payment as other truck owners. On looking to the schedule of the reference his evidence is that of all the 49 persons mentioned therein none was or is an employee of the company. He has proved Exts. M-1 and M-1/1 the payment registers showing payment to truck owners.

9. Coming to MW-2 I find that he himself is a truck owner and says that he gives his truck on hire to Jay Transport company. He has given the number of his three trucks and with reference to the schedule he says Sl. Nos. 26 and 36 are his employees.

10. MW-3 is an employee of Bharat Singh. In cross-examination he has given the truck numbers and says that these trucks are utilised for transport from Bermo to Kargali washery and from Kargali washery to Bokaro Thermal Power Station. He says further that for transport of coal and middling they are paid weekly on tonnage basis and for transport of sand and other similar articles they are paid on Cft. basis. He has stated that they have been paid hire charges by Jay Transport company whenever trucks are given on hire. On looking to Ext. M-1/1 he speaks about the payment received. With reference to the schedule he says that Srl. No. 16 was a driver working under Bharat Singh but he left the service and has joined the Central Coal Fields.

11. MW-4 is a working partner of Jay Transport Company and says that Ext. M-1 and M-1/1 are of his company and payments made to the truck owners are noted in them. He says further that this company transports coal, middling, sand, bricks and any other job for which it is engaged and it takes trucks on hire for its own business. According to him none of the workmen in the schedule are the employees of the company. With reference to paragraph 7 of the written statement his evidence is that the four trucks mentioned therein are those owner by Bharat Singh.

12. MW-5 is a truck owner and says that the Jay Transport company hires his trucks for its business. The two trucks BRM 6141 and BRM 7020 are registered in the name of his father and the bills are prepared in his name and payment is received either by his father or by him or by any of the employees of his company. On referring to the payment register he says that on the page week ending 29-4-1973 the two trucks Sl. Nos. 1 & 2 are his and the payment has been received by his father. On referring to the schedule of Reference he has stated that Samsul is his driver and Sudan was also his driver but was dead. According to his Samsul is still in his employment as loader operator.

13. From the evidence of the witnesses referred to above it is clear that Jay Transport Company has no trucks of its own and one of its partners Bharat Singh had four trucks which was his own property and not of this company. It is further apparent that this company hires trucks and makes payment as found in Exts. M-1 & M-1/1 and none of the workmen mentioned in the Schedule has ever been in its employment. In fact the three truck owners who have examined themselves have testified to the fact that Jagdish and Janki as well as Kaila Mahato are the drivers of MW-2. On Bachu is also his drive. Similarly Samsul and Sudan are the drivers of MW-5 and Bhuneshwar is the driver of Bharat Singh. It means that none of the workmen mentioned in the schedule has any direct concern with Jay Transport Company and therefore there is no relationship of employer and employee between them. In that view of the matter, no industrial dispute could have been raised by them and the reference of such an industrial dispute by the Central Govt., is invalid.

14. From my discussions above it follows that on the preliminary points raised by the Jay Transport Company the reference is held to be incompetent and not fit for adjudication. Thus the two points succeed.

In view of my above finding that the reference is incompetent and invalid, no adjudication is possible and this may be treated as an award.

This is my award.

S. R. SINHA, Presiding Officer.

ANNEXURE 'A'

Names	Designation
1. Shri Dheraj	Driver
2. Shri Sarsul	Driver
3. Shri Bhola	Driver
4. Shri Sudan	Driver
5. Shri Chine	Driver
6. Shri Punit	Driver
7. Shri Durga	Driver
8. Shri Ashin	Driver
9. Shri Durga	Driver
10. Shri Ashin	Driver
11. Shri Ramdhari	Driver
12. Shri Ramu	Driver
13. Shri Tapashwar	Driver
14. Shri Raghunath	Driver
15. Shri Md. Khan	Driver
16. Shri Ramanand Singh	Driver
17. Shri Sukar	Driver
18. Shri Bhubaneshwar Singh	Driver
19. Shri Chotu Singh	Driver
20. Shri Hiraman Singh	Driver
21. Shri Bhudan	Driver
22. Shri Bangali Sharma	Driver
23. Shri Tun Tun	Driver
24. Shri Badra	Driver
25. Shri Tota	Driver
26. Shri Bhola	Driver
27. Shri Karu	Driver
28. Shri Janki	Driver
29. Shri Sikari Singh	Driver
30. Shri Amin	Khalasi
31. Shri Babulal	Khalasi
32. Shri Jagdish	Khalasi
33. Shri Kaum	Khalasi
34. Shri Karu	Khalasi
35. Shri Budhan	Khalasi
36. Shri Dinoo	Khalasi
37. Shri Mahmood	Khalasi

38. Shri Ramesh	Khalasi
39. Shri Bangali	Khalasi
40. Shri Kashi	Khalasi
41. Shri Indoo	Khalasi
42. Shri Bhola	Khalasi
43. Shri Shakti Pade	Khalasi
44. Shri Bigam	Khalasi
45. Shri Nageshwar	Khalasi
46. Shri Briksha	Khalasi
47. Surajdeo	Khalasi
48. Shri Nabu	Khalasi
49. Shri Gobardhan	Khalasi

[No. L-20012/158/72-LRII/D.III(A)]

New Delhi, the 20th April, 1978

S.O. 1322.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sijua Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Sijua, Dhanbad and their workman, which was received by the Central Government on the 10th April, 1978.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 3) AT DHANBAD

Reference No. 36 of 1976 (old 54 of 1977 (new)

In the matter of an industrial dispute u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sijua Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd. P.O. Sijua, District Dhanbad.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri B. D. Srivastava, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, 31st March, 1978

AWARD

This is a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India, Ministry of Labour under order No. L-20012/180/76/DIIIA dated 21st September, 1976. The schedule is given below :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Sijua colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post office Sijua, District Dhanbad in superannuating Shri Jasimuddin, Coal Cutting Machine Mazdoor (Ticket No. 56993) with effect from 13th December, 1975 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. A settlement has been arrived at between the parties and application has been filed embodying the terms of settlement which has been signed by Shri S. S. Mukherjee for the employers and by Shri B. B. Srivastava, Advocate for the workman Shri Jasimuddin who has also put his signature.

3. I have found that the settlement is for the benefit of the workman concerned and according to the terms of the same date of birth of Shri Jasimuddin will be recorded as 18-12-1921 and the relevant records will be accordingly corrected. He is to get 50 per cent of his wages for the period from 13-12-75 upto the date of this settlement. Period of idleness is to be treated as on leave without wages for the continuity of service. It is mentioned therein that no further dispute now remains concerning the present reference

4. The reference is answered in terms of the settlement which will form part of this award.

5. This is the award.

S. R. SINHA, *Presiding Officer*

BEFORE THE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT'S INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Ref. No. 36 of 1976

54 of 1977

The Employers in relation to the Management of Sijua Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., P. O. Sijua, Distt., Dhanbad.

AND

Their Workman.

That without prejudice to the respective contentions of the parties contained in their written statement, the dispute has been amicably settled between the parties on the following terms :—

1. That the date of birth of Sri Jasimuddin will be recorded as 18-12-1921 and the relevant records, namely service record etc. will be corrected accordingly.

2. That the concerned workman namely Sri Jasimuddin will be said 50 per cent of his wages of the emoluments for the period from 18-12-75 to the date of this settlement.

3. That Sri Jasimuddin will be join his service immediately & the period of his idleness will be treated as if he was on leave without wages for the purpose of continuity of service only.

4. That the concerned workman will have no other claim against the Management concerning the present dispute.

5. That the parties will bear the own respective cost of the proceeding.

6. That there remains no further dispute concerning the present reference which needs any further adjudication by this Honourable Tribunal.

It is therefore humbly prayed that this settlement may kindly be corded and an Award passed in terms thereof.

Sd/-
for Workman

SRI JASIMUDDIN, concerned workman
Sd/-
SRI B. D. SRIVASTAVA, Advocate.

Sd/-
S. S. MUKHERJEE, for Employers
M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd.
P.O. Jamadoba
Dist : Dhanbad

Dated : 22-3-1978.

S. R. SINHA, Presiding Officer
[No. L-20012/180/76-D. III. (A)]
S. H. S. IYER, Desk Officer

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1978

का० आ० 1323.—उपदान सन्दाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की धारा 7 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 4106, दिनांक 30 नवम्बर, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित

अनुसूची के स्तंभ (2) मे उल्लिखित अधिकारियो को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) मे उनके सामने तत्स्थानी प्रविष्टियो मे विनिर्दिष्ट क्षेत्रो के लिए तथा ऐसे सभी स्थानो के संबंध में, जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, अपील प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

अनुसूची

क्रम सं०	अधिकारी	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), मुख्य श्रमायुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली ।	सम्पूर्ण भारत
2	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), बम्बई ।	महाराष्ट्र राज्य और गोवा, दमन तथा द्वीव दादरा और नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र ।
3	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता ।	पश्चिम बंगाल (बर्दवान, बीरभूम, बांकुरा और पुरूलिया के सिविल जिलो को छोडकर), असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिज़ोरम और अरूणाचल प्रदेश राज्य तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप-समूह संघ राज्य क्षेत्र ।
4	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), मद्रास ।	तमिलनाडु, केरल राज्य और पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र और कर्नाटक राज्य मे बंगलौर, कोलार, मैसूर, मांड्या, तुमकुर, कुर्ग, दक्षिण कनारा, हुस्सन, चिकमागलर, शिमोगा और चित्रदुर्ग के सिविल जिले और आंध्र प्रदेश राज्य मे चित्तूर का सिविल जिला ।
5	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर ।	मध्य प्रदेश राज्य ।
6	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कानपुर ।	उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्य और दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र ।
7.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद ।	बिहार राज्य ।
8	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद ।	कर्नाटक (बंगलौर, कोलार, मैसूर, मांड्या, तुमकुर, कुर्ग, दक्षिण कनारा, हुस्सन, चिकमागलुर, शिमोगा और चित्रदुर्ग के सिविल जिलो को छोडकर) और आंध्र प्रदेश (चित्तूर के सिविल जिले को छोडकर) के राज्य ।
9.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अजमेर ।	राजस्थान और गुजरात राज्य ।
10.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त, (केन्द्रीय), असानसोल ।	पश्चिम बंगाल राज्य में बर्दवान, बीरभूम, बांकुरा और पुरूलिया के सिविल जिले ।
11.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त, (केन्द्रीय), भुबनेश्वर ।	उड़ीसा राज्य ।

[फा० सं० एस०-70025(12)/75-एफ० पी० जी०]

New Delhi, the 20th April, 1978

S.O. 1323.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 7 of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) and in supersession of the notification of Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Deptt. of Labour and Employment) No S O 3106 dated the 30th November, 1972, the Central Government hereby specifies the officers mentioned in column (2) of the Schedule hereto, to be appellate authority for the areas specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule and in relation to all establishments for which the Central Government is the appropriate Government under clause (a) of section 2 of the said Act.

SCHEDULE

S No.	Officers	Area
(1)	(2)	(3)
1.	Regional Labour Commissioners (Central) in the Office of Chief Labour Commissioner at New Delhi.	Whole of India.
2.	Regional Labour Commissioner (Central), Bombay.	The State of Maharashtra and the Union territories of Goa, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli.
3.	Regional Labour Commissioner (Central), Calcutta.	The States of West Bengal (excluding the Civil Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia) Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, Sikkim, Mizoram and Arunachal Pradesh and the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands.
4.	Regional Labour Commissioner (Central), Madras.	The States of Tamil Nadu, Kerala and the Union territories of Pondicherry and Lakshadweep and the Civil Districts of Bangalore, Kolar, Mysore, Mandya, Tumkur, Coorg, South Kanara, Hassan Chickmagalur, Shimoga and Chitradurg in the State of Karnataka and the Civil district of Chittoor in the State of Andhra Pradesh.
5	Regional Labour Commissioner (Central), Jabalpur.	The State of Madhya Pradesh.

(1)	(2)	(3)
6.	Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur.	The States of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir and the Union territories of Delhi and Chandigarh.
7.	Regional Labour Commissioner (Central), Dhanbad.	The State of Bihar.
8.	Regional Labour Commissioner (Central), Hyderabad.	The States of Karnataka (excluding Civil Districts of Bangalore, Kolar, Mysore, Mandya, Tumkur, Coorg, South Kanara, Hassan, Chickmagalur, Shimoga and Chitradurg) and Andhra Pradesh (excluding the Civil District of Chittoor).
9.	Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer.	The States of Rajasthan and Gujarat.
10.	Regional Labour Commissioner (Central), Asansol.	The Civil Districts of Burdwan Birbhum, Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
11.	Regional Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar.	The State of Orissa.

[No. S. 70025(12)/75-FPG]

का० आ० 1324.—उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 4107 दिनांक 30 नवम्बर, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में उनके सामने तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए तथा ऐसे सभी स्थापनों के संबंध में, जिनके लिए उक्त विनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, नियंत्रक प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है ।

अनुसूची

क्रम सं०	अधिकारी	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	अजमेर, कोटा, अहमदाबाद और आबिपुर में स्थित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)।	राजस्थान और गुजरात के राज्य ।
2.	आसनसोल और रानीगंज में स्थित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ।	पश्चिम बंगाल राज्य में बर्दवान, बीरभूम, बांकुरा और पुरूलिया के सिविल जिले ।
3.	भुवनेश्वर और रोउरकेला में स्थित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ।	उड़ीसा राज्य ।
4.	बम्बई, नागपुर और वास्को-डे-गामा में स्थित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ।	महाराष्ट्र राज्य और गोवा, दमन तथा दीव और नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र ।
5.	कलकत्ता और गोहाटी में स्थित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ।	पश्चिम बंगाल (बर्दवान, बीरभूम, बांकुरा और पुरूलिया के सिविल जिलों को छोड़कर), असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र ।
6.	धनबाद, हजारीबाग, पटना और चायबासा में स्थित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ।	बिहार राज्य ।
7.	हैदराबाद, विजयवाडा, विशाखापत्तनम और बेल्लारी में स्थित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ।	आन्ध्र प्रदेश (चित्तूर के सिविल जिले को छोड़कर) और कर्नाटक (बंगलौर, कोलार, मैसूर, माण्डया, तुमकर कुर्ग, दक्षिण कनारा, हस्सन, चिकमागलुर, शिमोगा और चित्रदुर्ग के सिविल जिलों को छोड़कर) राज्य ।
8.	जबलपुर, रायपुर, छिन्दवाड़ा, शाहडोल और भोपाल में स्थित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ।	मध्य प्रदेश राज्य ।
9.	कानपुर, दिल्ली, चण्डीगढ़ और बरेली में स्थित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ।	उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य और दिल्ली तथा चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र ।
10.	मद्रास, अर्नेकुलम और बंगलौर में स्थित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ।	तमिलनाडु राज्य तथा केरल के राज्य और कर्नाटक राज्य में बंगलौर, कोलार, मैसूर, माण्डया, तुमकुर, कुर्ग, दक्षिण कनारा, हस्सन, चिकमागलुर, शिमोगा और चित्रदुर्ग के सिविल जिले और आन्ध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर का सिविल जिला और पांडिचेरी व लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र ।

[फा० संख्या एस-70025(12)/75-एफ० पी० जी०]

टी० के० रामाचन्द्रन, उप सचिव

S.O. 1324.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) and in supersession of the notification of Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4107 dated the 30th November, 1972, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Schedule below, to be the Controlling authorities for the areas specified in the corresponding entries of column (3) of the said Schedule and in relation to all establishments for which the Central Government is the appropriate Government under clause (a) of section 2 of the said Act.

SCHEDULE

Sl. No.	Officers	Area
(1)	(2)	(3)
1.	Assistant Labour Commissioners (Central) at Ajmer, Kota, Ahmedabad and Adipur.	The States of Rajasthan and Gujarat.
2.	Assistant Labour Commissioners (Central) at Asansol and Raniganj.	The Civil districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
3.	Assistant Labour Commissioners (Central) at Bhubaneswar and Rourkela.	The State of Orissa.
4.	Assistant Labour Commissioners (Central) at Bombay, Nagpur and Vasco-de-gama.	The State of Maharashtra and the Union territories of Goa, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
5.	Assistant Labour Commissioners (Central) at Calcutta and Gauhati.	The States of West Bengal (excluding the Civil districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia) Assam, Meghalaya, Sikkim, Nagaland, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands.
6.	Assistant Labour Commissioners (Central) at Dhanbad, Hazaribagh, Patna and Chaibasa.	The State of Bihar.
7.	Assistant Labour Commissioners (Central) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Bellary	The States of Andhra Pradesh (excluding the Civil districts of Chittoor) and Karnataka (excluding the Civil districts of Bangalore, Kolar, Mysore, Mandya, Tumkur, Coorg, South Kanara, Hassan, Chickmagulur, Shimoga, and Chitradurg).
8.	Assistant Labour Commissioners (Central) at Jabalpur, Raipur, Chindwara, Shahdol and Bhopal.	The State of Madhya Pradesh.
9.	Assistant Labour Commissioners (Central) at Kanpur, Delhi, Chandigarh and Breilly.	The States of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh and the Union territories of Delhi and Chandigarh.
10.	Assistant Labour Commissioners (Central) at Madras, Ernakulam and Bangalore.	The States of Tamil Nadu, Kerala and the Civil districts of Bangalore, Kolar, Mysore, Mandya, Tumkur, Coorg, South Canara, Hassan, Chickmagulur, Shimoga, and Chitradurg in the State of Karnataka and the Civil district of Chittoor in the State of Andhra Pradesh and the Union territories of Pondicherry and Lakshadweep.

[F. No. S. 70025(12)/75-FPG]
T. K. RAMACHANDRAN, Dy. Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1978

का० आ० 1325.—श्रम मन्त्रालय के आदेश सं० एल-12012/17/77-डी०-2(ए), तारीख 15/25 फरवरी, 1978 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

"उक्त आदेश की अनुसूची की दूसरी पंक्ति में उल्लिखित कर्मकार का नाम संशोधित करके वी० श्रीरामुलु पढ़ा जाये।"

[सं० एल०-12012/17/77-डी०-2(ए)]
राम प्रसाद नरुला

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th April, 1978,

S.O. 1325.—The following amendment made to the Ministry of Labour order No. L-12012/17/77-D. II. A dated 15th/25th February, 1978 :—

"The name of the workman occuring in the third line of the schedule to the above mentioned order may be amended to read as V. Sreeramulu."

[F. No. L—12012/17/77-DIIA]
R. P. NARULA, Under Secy.

S.O. 1326.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 14-4-78.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD.

INDUSTRIAL DISPUTE No. 3 of 1978

BETWEEN

Workmen of State Bank of India, Pattamata Branch.

AND

The Management of State Bank of India, Hyderabad.

APPEARANCES

Sri S. Adinarayana Murthy, Joint Secretary of the State Bank of India, Staff Union, A. P., Vijayawada, for the Workmen.

Shri A. Gopala Krishnamurthy Officer Grade II State Bank of India Region II, Hyderabad for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, through its order No. L-12012/26/77-D. II. A, dated 12-9-1977 referred under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 the following dispute existing between the Employers in relation to the Management of the State Bank of India, Hyderabad and their Workmen to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the Management of State Bank of India, Hyderabad Circle, Hyderabad in transferring Sri R. N. Krishnan from Patamata Branch to Tadikalapudi Branch is justified. If not, to what relief is the Workman entitled ?"

2. The reference was registered as Industrial Dispute No. 3 of 1978 and notices were ordered to be issued to both the parties. In response to the aforesaid notice the Joint Secretary of the State Bank of India, State Union A. P. filed a Memo this day stating that as the Management of the Bank has transferred the affected workman Sri R. N. Krishnan to the Mangalagiri Branch, the Union did not press the claim and demands. Sri A. Gopala Krishna Murthy, Officer representing the Management was present and he signed the aforesaid Memo. Since the workman does not press the claims and demands, there is no need to proceed with the matter further.

3. A nil Award is hereby passed.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 27th day of February, 1978.

K. P. NARAYANA RAO, Presiding Officer

[F. No. L-12012/26/77-D. II. A.]

R. P. NARULA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978